[2022] 5 एस. सी. आर 970

प्रभा त्यागी

वी.

कमलेश देवी

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 511)

12 मई, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:

एसएस। 12 , 17 , 19 , 22 – घरेलू हिंसा-पीड़ित व्यक्ति-पत्नी द्वारा एक महीने के भीतर पति की मृत्यु का आरोप। कार दुर्घटना में विवाह-विवाह के एक वर्ष के भीतर बेटी का जन्म-पति की मृत्यु के बाद, पीड़ित व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है

और उसकी सास और उसके वैवाहिक परिवार द्वारा परेशान किया गया, और उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया-उसने अपना और अपने बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए काम करना शुरू कर दिया-उत्तरदाताओं को अपना स्त्रीधन वापस करने के लिए नोटिस जारी किया गया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली-पीड़ित व्यक्ति

फिर एक आवेदन यू/एस दायर किया। 12 मजिस्ट्रेट के समक्ष सुरक्षा आदेशों, निवास आदेशों और मुआवजे के आदेशों के साथ-साथ मौद्रिक राहत की मांग करते हुए-मजिस्ट्रेट ने आंशिक रूप से आवेदन की अनुमति दी जिसमें उत्तरदाताओं को पीड़ित व्यक्ति का अपमान करने और उसे बदनाम करने के लिए मौद्रिक मुआवजे के रूप में Rs.10,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

सूची में मारुति (ऑल्टो) कार को छोड़कर, पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली स्त्रीधन का उल्लेख किया गया है और यह कि उत्तरदाता ऐसा नहीं करेंगे।

पीड़ित व्यक्ति और उसकी बेटी को उसके पति की संपत्ति का आनंद लेने से रोकें-पहली अपीलीय अदालत ने आदेश को रद्द कर दिया

निचली अदालत की-उच्च न्यायालय ने उसी स्थिरता को बरकरार रखा-आयोजितः टिकाऊ नहीं-निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को बहाल किया गया।

एसएस। 12 , 18-20 और 22-एक सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा दायर घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार डी. वी. अधिनियम के तहत आदेश पारित करने से पहले मजिस्ट्रेट, यदि अनिवार्य हो

आयोजित किया गयाः एस. 12 मजिस्ट्रेट के लिए इसे अनिवार्य नहीं बनाता है

डी. वी. अधिनियम के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले एक सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा दायर घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करें-घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में भी, एक मजिस्ट्रेट को डी.

वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एकतरफा या अंतरिम दोनों के साथ-साथ अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार है-पीड़ित व्यक्ति सीधे कर सकता है

क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को स्वयं आवेदन करें या

एक अधिवक्ता की सेवाओं को संलग्न करके-हालांकि, 'होगा' अभिव्यक्ति का उपयोग एस के परंतुक में किया जाता है। 12 , यह केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां कोई सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता कोई फाइल करता है। घरेलू घटना रिपोर्ट।

एसएस। 12 और 17-पीड़ित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा के आरोप-डी. वी. अधिनियम के तहत राहत-ऐसे पीड़ितों की आवश्यकता

व्यक्ति उन व्यक्तियों के साथ रहने के लिए जिनके खिलाफ हिंसा करने के बिंदु पर आरोप लगाए गए हैं, यदि अनिवार्य हैः यह पीड़ित व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, जब वह रक्त-संबंध, विवाह या विवाह के माध्यम से संबंधित है।

विवाह, गोद लेने या संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की प्रकृति में संबंध, वास्तव में उन व्यक्तियों के साथ रहने के लिए जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। घरेलू हिंसा होने का समय-यदि किसी महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है। 17 और ऐसी महिला एक पीड़ित व्यक्ति बन जाती है, वह इसके तहत राहत ले सकती है

साझा घर में रहने के उसके अधिकार को लागू करने सहित डी. वी. अधिनियम के प्रावधान।

एस. 12 - पीड़ित व्यक्ति द्वारा डीवी अधिनियम के तहत राहत की मांग की गई

- पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति के बीच आवश्यक संबंध

जिस व्यक्ति के खिलाफ राहत का दावा किया गया है-आयोजितः होना चाहिए।

पीड़ित व्यक्ति के बीच एक स्थायी घरेलू संबंध

और वह व्यक्ति जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप के संबंध में राहत का दावा किया जाता है-हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन दायर करने के समय, घरेलू संबंध बने रहें-भले ही कोई पीड़ित व्यक्ति प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में न हो। आवेदन यू/एस दाखिल करने के समय परिवार। 12 लेकिन किसी भी समय ऐसा रहा है या उसे जीने का अधिकार था और

घरेलू हिंसा के अधीन या बाद में घरेलू संबंधों के कारण घरेलू हिंसा के अधीन, अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार है।

डी. वी. अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य-समझाया गया।

विधियों की व्याख्याः मुख्य प्रावधान का प्रावधान-सामान्य सिद्धांतों का निर्माण और व्याख्या-समझाया गया।

शब्द और वाक्यांशः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिव्यक्ति 'साझा घर'-का अर्थ, एस के संदर्भ में। 2 (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005। अभिव्यक्ति परिवार के सदस्य-का अर्थ, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के संदर्भ में।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

घरेलू हिंसा, वह एक साझा घर में रहने के अपने अधिकार को लागू करने सहित डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहत ले सकती है। [पैरा 52] [1032-बी-डी] 1.3 पीड़ित व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच एक स्थायी घरेलू संबंध होना चाहिए जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में राहत का दावा किया जाता है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि प्रभा त्याग v दाखिल करते समय।

एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन, घरेलू संबंध अस्तित्व में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई व्यथित व्यक्ति हो

डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने के समय एक साझा घर में प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में नहीं है, लेकिन किसी भी समय ऐसा रहा है या उसे जीने का अधिकार है और घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है या बाद में घरेलू संबंध के कारण घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है, अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार है। [पैरा 52] [1032-ई-एफ]

संबंध। इसलिए, 'संयुक्त परिवार' अभिव्यक्ति का अर्थ हिंदू कानून में समझा नहीं जा सकता है। इस प्रकार, अभिव्यक्ति 'परिवार' संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले सदस्यों का अर्थ है एक परिवार के रूप में संयुक्त रूप से रहने वाले सदस्य। इस तरह की व्याख्या में, यहां तक कि एक लड़की/बच्चे जिनकी पालक बच्चों के रूप में देखभाल की जाती है, उन्हें भी एक साझा घर में रहने का अधिकार है और उन्हें डी. वी. अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत अधिकार प्रदान किया जाता है। जब ऐसी बालिका या महिला पीड़ित व्यक्ति बन जाती है, तो धारा 17 की उप-धारा (2) का संरक्षण लागू हो जाता है। [पैरा 36] [1011-सी-ई]

श्रीमती. भारती नाइक बनाम। श्री रवि रामनाथ हलारंकर और एक अन्य 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 243; वंदना बनाम। टी. श्रीकांत और कृष्णमाचारी 2007 एससीसी ऑनलाइन मैड 553- संदर्भित।

3. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि क्या पीड़ित व्यक्ति के लिए उन व्यक्तियों के साथ रहना अनिवार्य है जिनके खिलाफ

राहत पाने का समय। यदि किसी महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है, तो वह तदनुसार डी. वी. अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत अपने अधिकार को लागू कर सकती है। यदि कोई महिला पीड़ित व्यक्ति या घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती है, तो वह इसके तहत राहत ले सकती है। उसके रहने या रहने के अधिकार सहित डी. वी. अधिनियम के प्रावधान [2022] 5 एस. सी. आर.

डी. वी. अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित धारा 17 के तहत साझा परिवार में। इस प्रकार, अपीलार्थी को एक साझा घर में रहने का अधिकार था, अर्थात उसका वैवाहिक घर और इसका शिकार होना।

घरेलू हिंसा डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत साझा घर में रहने या रहने के उसके अधिकार को लागू कर सकती है और डी. वी. अधिनियम के तहत प्रदान की गई किसी भी अन्य उचित राहत की मांग कर सकती है। यह इस बात की परवाह किए बिना है कि क्या वह वास्तव में साझा घर में रहती थी। [पारस 40 और 41] [1014-बी-डी] 4.1 जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि क्या पीड़ित व्यक्ति के बीच एक स्थायी घरेलू संबंध होना चाहिए

और जिस व्यक्ति के खिलाफ राहत का दावा किया जाता है, 'घरेलू संबंध' अभिव्यक्ति एक व्यापक है और इसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच संबंध जो रहते हैं या किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं, जब वे सहमति से संबंधित होते हैं; विवाह; विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते के माध्यम से; गोद लेना; एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हैं। अभिव्यक्ति 'समानुभूति', 'विवाह' और 'गोद लेना' सामान्य कानून के साथ-साथ पक्षों पर लागू संबंधित व्यक्तिगत कानून दोनों में अच्छी तरह से समझी गई अवधारणाएं हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 'विवाह' अभिव्यक्ति में विवाह की प्रकृति में एक रिश्ता भी शामिल है। दूसरा, 'गोद लेना' शब्द परिवार को भी ध्यान में रखता है।

एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले सदस्य। [पैरा 42] [1014-ई-जी]

डी. वेलु सामी बनाम। डी. पच्चैयाम्मल (2010) 10 एससीसी 469: [2010] 13 एस. सी. आर. 706; इंद्र सरमा बनाम। वीकेवी सरमा

(2013) 15 एससीसी 755: [2013] 14 एससीआर 1019-संदर्भित

को।

4.2 अभिव्यक्ति 'परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं' केवल संबंधों के माध्यम से संबंधित नहीं है

समलिंगीता, विवाह या गोद लेना। 'संयुक्त परिवार' शब्द का अर्थ संयुक्त परिवार नहीं है जैसा कि हिंदू कानून में समझा जाता है। इसका मतलब होगा कि लोग एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। इसमें शामिल होंगे

न केवल परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं जब वे सहमति, विवाह या गोद लेने से संबंधित होते हैं, बल्कि वे व्यक्ति भी जो एक साथ या संयुक्त रूप से एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं जैसे कि पालक बच्चे जो अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं जो उनके द्वारा संबंधित हैं।

समलिंगता, विवाह या गोद लेने से। इसलिए, जब कोई भी प्रभा त्यागी बनाम।

महिला घरेलू संबंध में है, घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन है और एक पीड़ित व्यक्ति बन जाती है, वह डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाने की हकदार है। [पैरा 43] [1017 सी-ई]

4.3 डी. वी. अधिनियम में उल्लिखित संबंध इस प्रकार हैं:

((i) रक्त-संबंध द्वारा कोई भी संबंध आजीवन होता है।

(क) यदि कानून की अदालत द्वारा आदेशित न्यायिक अलगाव है, तो यह विवाह को समाप्त नहीं करता है और इसलिए घरेलू संबंध पति-पत्नी के बीच संबंध जारी रहता है, भले ही वे वास्तव में एक साथ नहीं रह रहे हों।

(ख) तलाक की स्थिति में, विवाह अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, लेकिन यदि एक महिला (पत्नी) किसी भी घरेलू संबंध के अधीन है।

या तो विवाह के दौरान या तलाक की डिक्री पारित होने के बाद भी हिंसा, लेकिन घरेलू संबंधों की अवधि से संबंधित, इस डी. वी. अधिनियम के प्रावधान ऐसी तलाकशुदा महिला के बचाव में भी आएंगे। (ग) यही कारण है कि 'घरेलू संबंध' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है संबंध।

दो व्यक्तियों के बीच जो रहते हैं या किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं जब वे विवाह द्वारा संबंधित होते हैं। 'जीवित' या 'जीवित' शब्द की व्याख्या धारा 17 की उप-धारा (1) में रहने के अधिकार के संदर्भ में की गई है। साझा घर में रहने का अधिकार, तब भी जब घरेलू संबंध हों उदाहरण के लिए जब कोई महिला अपने पति की मृत्यु के कारण विधवा हो जाती है, तो उसे डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है।

(घ) तब भी जब वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं और पीड़ित महिला के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं रहता है। और प्रत्यर्थी जिसके खिलाफ राहत का दावा किया जाता है लेकिन घरेलू हिंसा के कार्य घरेलू हिंसा की अवधि से संबंधित हैं

संबंध, ऐसी परिस्थितियों में भी, पीड़ित महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी, उसके पास डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार है।

(iii) यहाँ तक कि विवाह की प्रकृति के संबंध के मामले में भी, जिस अवधि के दौरान महिला को घरेलू पीड़ा का सामना करना पड़ा

हिंसा और इस प्रकार एक पीड़ित व्यक्ति संबंध की समाप्ति के बाद उपचार की मांग कर सकता है, एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि घरेलू हिंसा का आरोप विवाह की प्रकृति में संबंध के निर्वाह की अवधि से संबंधित होना चाहिए।

(iv) उसी तरह, जब एक लड़की का पालन-पोषण संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है और वह किसी भी समय रहती है।

किसी साझा घर में एक साथ रहने वाले या एक साथ रहने वाले सदस्य होने के नाते साझा घर में रहने का अधिकार रखते हैं।

एक संयुक्त परिवार के रूप में और किसी भी तरह से बेदखल किया गया है या घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है, डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार है। [पैरा 43] [1017-एफ-एच; 1018-ए-एच]

4.4 सवाल एक निर्वाहित घरेलू के बारे में उठाया गया

पीड़ित व्यक्ति और उसके विरुद्ध व्यक्ति के बीच संबंध

उन दो व्यक्तियों के बीच भी जो किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहे हैं। [पैरा 43] [1019-ए-बी] 4.5 अपीलार्थी की शादी प्रतिवादी के बेटे से हुई थी और शादी के एक महीने के भीतर, उसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने अपीलार्थी को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे वैवाहिक जीवन छोड़ने के लिए मजबूर किया

घर। उन्होंने अपना भरण-पोषण करने के लिए देहरादून में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। वह स्त्रीधन उसकी शादी के समय दिया गया था और जिसका उपयोग प्रतिवादी और उसके परिवार द्वारा किया गया था और स्त्रीधन की वस्तुओं को वापस करने की मांग करने वाले कानूनी नोटिस को प्रतिवादी और उसके परिवार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। भले ही डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने की तारीख को अपीलार्थी था वास्तव में साझा घर में नहीं रहती थी; फिर भी वह अपने पति के साथ घरेलू संबंध में रहती थी और आगे उसे बहू के रूप में साझा घर में रहने का अधिकार था।

क्योंकि ऐसा करने का कोई वैध कारण नहीं था। चूँकि अपीलार्थी को साझा घर में रहने का अधिकार था क्योंकि वह एक घरेलू घर में थी दुर्घटना में मृत्यु होने तक अपने पति के साथ संबंध और उसके साथ रहने के कारण सड़क दुर्घटना में अपने पति की मृत्यु के बावजूद उसे भी साझा घर में रहने का अधिकार था। पीड़ित व्यक्ति का अपनी शादी के कारण एक निर्वाहित घरेलू संबंध बना रहा और बहू होने के नाते उसे साझा घर में रहने का अधिकार था। [पैरा 44] [1019-सी-जी]

5.1 धारा 2 का खंड (ई) एक घरेलू घटना रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने पर बनाई गई रिपोर्ट के रूप में परिभाषित करता है

धारा 2 के खंड (एन) का अर्थ है धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी। धारा 8 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि सुरक्षा अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिलाएँ होंगी और उनके पास ऐसी योग्यताएँ और अनुभव होंगे जो निर्धारित किए जाएं। [पैरा 46] [1020-बी-डी] 5.2 उक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि एक पीड़ित व्यक्ति अपने दम पर या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकता है -

मजिस्ट्रेट डी. वी. अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग कर रहे हैं लेकिन परंतुक में कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट द्वारा किसी घरेलू घटना की सूचना सुरक्षा अधिकारी या [2022] 5 एस. सी. आर. से प्राप्त की जाती है।

सेवा प्रदाता, ऐसे मामले में, उसी पर विचार किया जाएगा। इसलिए, जब कोई पीड़ित व्यक्ति एक फाइल करता है

स्वयं या किसी अधिवक्ता की सहायता से और सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता की सहायता से नहीं, ऐसे मामले में, सुरक्षा अधिकारी की भूमिका या

सेवा प्रदाता की परिकल्पना नहीं की गई है। जाहिर है, मजिस्ट्रेट को सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से कोई घरेलू घटना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी। परंतुक का इरादा यह नहीं है कि घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में मजिस्ट्रेट डी. वी. अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।

विशेष रूप से जब पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है। हालाँकि, परंतुक में 'होगा' शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन यह केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहाँ एक सुरक्षा अधिकारी कोई घरेलू घटना रिपोर्ट दायर करता है या, जैसा भी मामला हो, सेवा प्रदाता ऐसी रिपोर्ट दाखिल करता है। जब किसी सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा घरेलू घटना की रिपोर्ट दायर की जाती है, तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट को उसके द्वारा प्राप्त उक्त रिपोर्ट पर विचार करना होता है। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति की ओर से ऐसी रिपोर्ट दायर नहीं की गई है तो वह ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए, 'होगा' अभिव्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त घरेलू घटना रिपोर्ट के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, जिस मामले में मजिस्ट्रेट के लिए रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य है। लेकिन, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट को स्वाभाविक रूप से आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले ऐसी किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसे मामले में हो सकता है जहां एक पीड़ित व्यक्ति स्वयं मजिस्ट्रेट से संपर्क करता है या एक वकील की सेवाएं डी. वी. अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग करने वाले आवेदन को प्रस्तुत करने में लगी हुई हैं या एक वैध स्वीकार्य कारण/कारण के लिए एक घरेलू घटना रिपोर्ट एक सुरक्षा अधिकारी या एक सेवा प्रदाता द्वारा दायर नहीं की गई है, जैसा भी मामला हो। [पैरा 47] [1020

डी-एच; 1021-ए-डी]

5.3 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन के साथ घरेलू घटना रिपोर्ट नहीं थी और इसलिए डी. वी. अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत, मजिस्ट्रेट के पास प्रभा त्यागी बनाम था।

अपीलार्थी के पक्ष में आदेश और निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। [पैरा 48] [1021-डी-ई]

5.4 यदि मजिस्ट्रेट को घरेलू घटना की रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी या सेवा से प्राप्त हुई है।

प्रदाता तब मजिस्ट्रेट की ओर से पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर आदेश पारित करने से पहले उक्त रिपोर्ट पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से घरेलू हिंसा की कोई शिकायत या आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी रिपोर्ट पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। डी. वी. अधिनियम किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए केवल सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना अनिवार्य नहीं बनाता है।

या सेवा प्रदाता। एक व्यथित व्यक्ति सीधे क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को स्वयं या उनके द्वारा आवेदन कर सकता है।

एक अधिवक्ता की सेवाओं को संलग्न करना। ऐसे मामले में, एक सुरक्षा अधिकारी या सेवा द्वारा घरेलू घटना रिपोर्ट दाखिल करना।

प्रदाता उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने वाले डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अंतरिम या अंतिम आदेश देने का अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत या आवेदन का संज्ञान ले सकता है और नियम 5 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में भी डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रतिवादी को नोटिस जारी कर सकता है। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट के पास नियम 5 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है, जब पीड़ित व्यक्ति की ओर से सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। इस तरह की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए कि तत्काल राहत

किसी व्यथित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और इसलिए परंतुक की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि डी. वी. अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत जो धारा 12 को लागू करता है।

अपने उद्देश्य और उद्देश्य से वंचित। [पैरा 49] [1025-जी; 1026-ए-ई]

नयनकुमार बनाम। कर्नाटक राज्य आईएलआर 2009 कर

4295 ; अभिराम गोगोई बनाम। रश्मि रेखा गोगोई (2011) 4 गुवाहाटी लॉ रिपोर्ट 276; मो. बासित वी. असम राज्य और अन्य (2012) 1 गुवाहाटी कानून रिपोर्ट 747; राहुल [2022] 5 एस. सी. आर.

प्रदेश 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन हाईड 715; रवि कुमार बाजपेयी बनाम. रेणु अवस्थी बाजपेयी आई. एल. आर. (2016) एम. पी. 303; शंभू प्रसाद सिंह बनाम। मंजरी 190 (2012) डीएलटी 647; राकेश चौधरी बनाम। वंदना चौधरी 2019 एससीसी ऑनलाइन जे एंड के 512; विजय मारुति गायकवाड़ बनाम। सविता विजय गायकवर्ड 2018 (1) एच. एल. आर. 295; सूरज शर्मा बनाम।

भारती शर्मा 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन छ. 1825 -

मंजूरी दे दी गई।

रामा सिंह बनाम। माया सिंह (2012) 4 एम. पी. एल. जे. 612; रवि दत्ता बनाम किरण दत्ता और एक और 208 (2014) डीएलटी 61

- अस्वीकृत।

5.5 मुख्य प्रावधान के संदर्भ में परन्तुक को दी जाने वाली व्याख्या को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत सामान्य कार्य हैं।

किसी परंतुक का अर्थ प्रावधान में से किसी ऐसे प्रावधान को हटाना या उसमें अधिनियमित किसी ऐसे प्रावधान को अर्हता प्राप्त करना है जो परंतुक के लिए प्रावधान के दायरे में हो। एक सामान्य नियम के रूप में, एक परंतुक को एक अधिनियम में जोड़ा जाता है ताकि अधिनियम में जो है उसे अर्हता प्राप्त करने या अपवाद बनाने के लिए और आम तौर पर, एक परंतुक नहीं है

एक सामान्य नियम बताते हुए व्याख्या की गई। दूसरे शब्दों में, एक परंतुक मुख्य अधिनियम की व्यापकता को एक अपवाद प्रदान करके और मुख्य अधिनियम से एक भाग को निकालकर योग्य बनाता है, जो परंतुक के लिए मुख्य प्रावधान के भीतर आता है। इसके अलावा, एक परंतुक को प्रावधान को रद्द करने या अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनने के रूप में नहीं माना जा सकता है। कुछ नियम यह हैं कि सबसे पहले, एक परंतुक को निहितार्थ द्वारा कुछ बाहर करने या जोड़ने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यानी जब एक निष्पक्ष निर्माण पर, मुख्य प्रावधान स्पष्ट है, एक परंतुक इसे विस्तारित या सीमित नहीं कर सकता है। दूसरा, एक परंतुक का अर्थ उस संबंध में लगाया जाना चाहिए जिसके संबंध में इसे जोड़ा जाता है अर्थात, सामान्य रूप से, परंतुक उस प्रावधान से आगे नहीं जाता है जिसके लिए यह एक परंतुक है। एक परंतुक उस मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद बनाता है जिसके लिए इसे एक परंतुक के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं। तथापि, यदि किसी कानून में कोई परंतुक किसी धारा का भाग नहीं है, लेकिन स्वयं एक अलग धारा के रूप में अधिनियमित है, तो यह आवश्यक हो जाता है -

यह निर्धारित करना कि परंतुक किस धारा के लिए एक अपवाद या योग्यता के रूप में अधिनियमित किया गया है। कभी-कभी, एक परंतुक का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है प्रभा त्याग v।

मुख्य खंड के निर्माण के लिए। तीसरा, जब खंड में शब्दों के दो संभावित निर्माण पाए जाते हैं, तो मुख्य खंड की व्याख्या करने के लिए परंतुक पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, जब मुख्य प्रावधान स्पष्ट होता है, तो इसे परंतुक द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां मुख्य खंड स्पष्ट नहीं है, मुख्य प्रावधान के अर्थ और दायरे का पता लगाने के लिए परंतुक पर विचार किया जा सकता है। परंतुक का इतना अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह अनावश्यक हो जाए। कुछ मामलों में, "बहिष्करण के विधायी उपकरण को केवल संपूर्ण से एक हिस्से को बाहर करने के लिए अपनाया जाता है, जो, लेकिन बहिष्करण के लिए, इसका एक हिस्सा बना हुआ है", और बहिष्करण के शब्दों का कुछ अर्थ माना जाता है और इन्हें आसानी से केवल अधिशेष के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। एक परिणाम के रूप में, यह कहा गया है कि एक परंतुक का इतना अर्थ लगाया जाना चाहिए कि मुख्य

अधिनियम और परंतुक अनावश्यक या अनावश्यक नहीं होना चाहिए। यह विशेष रूप से ऐसा है, जहां एक परंतुक का उद्देश्य कभी-कभी केवल प्रचुर सावधानी के माध्यम से होता है, विशेष रूप से जब अधिनियम के कार्यकारी शब्द प्रचुर मात्रा में स्पष्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में परंतुक का उद्देश्य किसी भी संदेह को दूर करना है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां एक परंतुक एक स्वतंत्र अधिनियम की प्रकृति में है और न कि केवल एक अपवाद या योग्यता जो पहले कहा गया है। दूसरे शब्दों में, यदि मूल अधिनियम को परंतुक के रूप में लिखा जाता है, तो यह विभिन्न समूहों से संबंधित एक स्वतंत्र विधायी प्रावधान होगा। परिस्थितियों की तुलना में जो पहले कहा गया है या जो पहले कहा गया है। कभी-कभी, एक परंतुक सामान्य अधिनियम से विशेष मामलों को अलग करना और इसे विशेष रूप से प्रदान करना होता है। [पैरा 50] [1026-ई-एच; 1027-ए-एच; 1028-ए-बी]

ईश्वरलाल ठाकुरलाल अल्मौला बनाम। मोतीभाई नागजीभाई ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 459: [1966] एससीआर 367; कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम। नवरत्न फार्मास्युटिकल लैबोरेटरीज ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 980: [1965] एस. सी. आर. 737; केदारनाथ जूट विनिर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी

और अन्य ए. आई. आर 1966 एस. सी. 12: [1965] एस. सी. आर. 626; दत्तात्रेय गोविंद महाजन और अन्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य AIR 1977 SC 915: [1977] 2 एस. सी. आर. 790; एस. सुंदरम पिल्लई, आदि, v. वी. आर.

पट्टाबीरमन ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 582: [1985] 2 एस. सी. आर. 643; एम. पेंटिया बनाम। मुद्दला वीरमल्लप्पा ए. आई. आर 1961 एस. सी.

1107 : [1961] एस. सी. आर. 295; अधीक्षक और 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार को कानूनी मामलों का स्मारिका। पश्चिम बंगाल बनाम। अबनी मैती एयर 1979 एससी 1029: [1979] 3 एससीआर 472

- संदर्भित किया गया।

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह "वैधानिक सिद्धांत"

व्याख्या ", 15 वां संस्करण-संदर्भित।

5.6 तत्काल मामले में, जब परंतुक को मुख्य प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाता है जो 'ए' शब्दों से शुरू होता है।

पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति डी. वी. अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से डी. वी. अधिनियम के तहत किसी भी राहत की मांग के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। ऐसी स्थिति में, ए की फाइलिंग घरेलू घटना रिपोर्ट सामने नहीं आती है। परंतुक में 'होगा' अभिव्यक्ति के उपयोग को प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए अर्थात, मजिस्ट्रेट अपने द्वारा प्राप्त किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है जब वह सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से दायर की गई है, ऐसे मामले में जहां पीड़ित व्यक्ति की ओर से एक सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है। यदि संसद का इरादा यह होता कि संरक्षण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दाखिल करना मजिस्ट्रेट के लिए एक पूर्व शर्त है कि वह किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर कार्रवाई करे, भले ही वह इसे स्वयं या अपने वकील के माध्यम से दायर करे, तो इसे इस तरह व्यक्त किया जाता। लेकिन परंतुक के साथ धारा 12 की उप-धारा (1) का संयुक्त पठन इस तरह के इरादे का संकेत नहीं देता है। इस प्रकार, डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्ति की प्रचुरता की तदनुसार व्याख्या की जाती है और किसी सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता की सहायता के बिना पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यक है और इस प्रकार घरेलू घटना रिपोर्ट की अनुपस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यदि एक विपरीत व्याख्या दी जानी है तो धारा 12 की उप-धारा (1) के प्रारंभिक शब्दों को अनुचित माना जाएगा और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि -

पहले किसी सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क करें, जैसा भी मामला हो, और एक घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करें और उसके बाद डी. वी. अधिनियम के तहत राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करें, जो संसद का इरादा नहीं है। [पैरा 51] [1030 जी-एच; 1031-ए-ई] प्रभा त्यागी बनाम।

कमलेश देवी

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और साथ ही

सत्र न्यायाधीश को दरकिनार कर दिया जाता है और आदेश पारित किया जाता है

न्यायिक मजिस्ट्रेट की पुष्टि की जाती है। [पैरा 53] [1032-जी-एच]

सतीश चंदर आहूजा बनाम। स्नेहा आहूजा (2021) 1 एससीसी 414 ; जुवेरिया अब्दुल माजिद पटनी बनाम। आतिफ इकबाल मंसूरी

और एक और (2014) 10 एससीसी 736: [2014] 10 एससीआर 479;

वी. डी. भनोट बनाम सविता भनोट (2012) 3 एस. सी. सी. 183: [2012] 1 एस. सी. आर. 867; कृष्ण भट्टाचार्य बनाम। सारथी

चौधरी एंड अदर (2016) 2 एस. सी. सी. 705: [2015]

14 एससीआर 65; सरस्वती बनाम। बाबू (2014) 3 एससीसी 712:

[2013] 12 एससीआर 914; रश्मि कुमार बनाम। महेश कुमार

बड़ा (1997) 2 एस. सी. सी. 397: [1996] 10 पूरक। एससीआर 347;

अजय कुमार बनाम। लता उर्फ शारुती और अन्य (2019) 15

एससीसी 352 [2019] 6 एससीआर 283; सतीश चंदर आहूजा

वी. स्नेहा आहूजा (2021) 1 एस. सी. सी. 414; एस. आर. बत्रा बनाम। तरुणा

बत्रा (2007) 3 एससीसी 169: [2006] 10 पूरक। एससीआर 1206;

हर्भजन सिंह बनाम। भारतीय प्रेस परिषद ए. आई. आर. 2002

एससी 1351: [2002] 2 एस. सी. आर.-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 16

(iii)

021) 1 एस. सी. सी. 414

संदर्भित किया गया है

पैरा 21 (ए)

014] 10 एससीआर 479

संदर्भित किया गया है

पैरा 21 (ए)

012] 1 एससीआर 867

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

(बी)

015] 14 एससीआर 65

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

(बी)

013] 12 एससीआर 914

संदर्भित किया गया है

996] 10 पूरक। एससीआर 347

पैरा 21

(बी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

(सी)

019] 6 एससीआर 283

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

(डी)

021) 1 एस. सी. सी. 414

संदर्भित किया गया है

006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 1206 संदर्भित

पैरा 21

(डी)

002] 2 एससीआर 369

पैरा 26

संदर्भित किया गया है

पैरा 42 (ए)

010] 13 एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

(बी)

013] 14 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

(डी) (

966] एससीआर 367

संदर्भित

[2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1965] एससीआर 737

पैरा

49 (घ) (ii)

संदर्भित किया गया है

[1965] एससीआर 626

पैरा

49 (डी) (iii)

संदर्भित किया गया है

पैरा

49 (डी) (iv)

[1977] 2 एससीआर 790

संदर्भित किया गया है

पैरा

49 (डी) (वी)

[1985] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

[1961] एससीआर 295

पैरा

49 (च) (i)

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर 472

पैरा

49 (च) (ii)

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

511 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 23.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 के आपराधिक संशोधन सं. 186 में नैनीताल में उत्तराखंड सरकार द्वारा।

डॉ. विनोद कुमार तिवारी, गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। के. के. श्रीवास्तव, कुमार राजीव, एस. के. वर्मा, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

नागरत्ना, जे.

पीड़ित व्यक्ति, जो इसमें अपीलकर्ता है, जिसने याचिका दायर की थी

विशेष न्यायालय की फाइल पर 2007 का विविध मामला सं. 78

न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, देहरादून ने नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2014 के आपराधिक संशोधन संख्या 186 में पारित 23 जुलाई, 2019 के फैसले पर हमला किया है, जिसके द्वारा 11 जुलाई, 2014 के फैसले को पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा 2011 की आपराधिक अपील संख्या 53 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-I द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए पारित किया गया था।

2. सुविधा के लिए, इसमें पक्षों को संदर्भित किया जाएगा

विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पद और स्थिति के संदर्भ में।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमिः

3. पीड़ित व्यक्ति के अनुसार, उसकी शादी कुलदिप से हुई थी।

स्वर्गीय विष्णुदत्त त्यागी के पुत्र त्यागी (मृत होने के बाद) को 18 जून, 2005 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार सम्मानित किया गया था और विवाह के संबंध में, पीड़ित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने उसके मृत पति के परिवार को दहेज दिया था और पीड़ित व्यक्ति को स्त्रीधन। शादी के तुरंत बाद की अवधि के लिए, पीड़ित व्यक्ति पैतृक प्रभा त्याग v में रह रहा था।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उत्तरदाता का घर उसकी सास के साथ-उत्तरदाता नं। 1 , दो बहनोई, अपने पति के बड़े भाई की पत्नी और छह बहनें। इसके बाद, पीड़ित व्यक्ति अपने पति और उत्तरदाताओं के साथ गाँव झबरेडा में रहने लगा। कि पीड़ित व्यक्ति के पति, कुलदिप त्यागी की 15 जुलाई, 2005 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके पति के तेरहानवी समारोह के बाद, पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शुरू में दिल्ली में अपने पिता के घर पर रहने के लिए विवश थी। कि अपने पति की मृत्यु से ठीक पहले, पीड़ित व्यक्ति ने एक बच्चे को जन्म दिया था।

4. कि 30 मार्च, 2006 को पीड़ित व्यक्ति ने एक बच्चे को जन्म दिया

बेटी और उसके पति की मृत्यु के बाद उसके वैवाहिक परिवार द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार और यातना के कारण, वह अपनी बेटी के साथ देहरादून, उत्तराखंड चली गई, जहाँ उसने अपना और अपने बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यह कि उसकी शादी के समय उसे दी गई स्त्रीधन का उसे कभी भी आनंद नहीं लेने दिया गया था और यहां तक कि उसके वैवाहिक घर से बाहर निकलने के बाद भी, स्त्रीधन का उपयोग उसके ससुराल वालों द्वारा किया जा रहा था। 1 6 तक। कि पीड़ित व्यक्ति ने 22 नवंबर, 2006 को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे स्त्रीधन की वस्तुओं को वापस करने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

एक ही।

5. कि पीड़ित व्यक्ति के पिता ने उसकी शादी के समय उसे एक मारुति (ऑल्टो) कार उपहार में दी थी और वह उसके मृत पति के नाम पर पंजीकृत थी। उनके पति की दुर्घटना के कारण, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी, उक्त कार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। कि पीड़ित व्यक्ति की सास ने बीमा कंपनी, राष्ट्रीय बीमा कंपनी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो कार को हुए नुकसान के दावे को संसाधित कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वह मृतक की मां थी और मृतक की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी थी और इसलिए उसके पक्ष में कोई भी मुआवजा दिया जा सकता है। 6. कि झबरेडा गाँव में एक ऐसी भूमि है जिस पर पीड़ित व्यक्ति के मृत पति का अधिकार और अधिकार था। वह उत्तरदाता नहीं। 1- सास ने अन्य प्रत्यर्थियों द्वारा उकसाये जाने पर उक्त संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में पीड़ित व्यक्तियों का नाम दर्ज करने पर आपत्ति जताई। उत्तरदाता नं. 1 यह कहते हुए आपत्ति जताई कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा पैदा किया गया बच्चा कुलदिप त्यागी की बेटी नहीं थी। इस तरह की आपत्ति के कारण, तहसीलदार की अदालत ने उक्त संपत्ति के संबंध में यथास्थिति का आदेश पारित किया।

7. कि उत्तरदाताओं ने कई मौकों पर पीड़ित व्यक्ति को धमकी दी कि अगर उसने कभी ऐसा किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

अपने पति की संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा करने का प्रयास किया। कि उत्तरदाताओं को, पीड़ित व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो गर्भवती होने के दौरान, एक घातक दुर्घटना में अपने पति को खो दिया था, इस बात से इनकार करते हुए कि उसका बच्चा कुलदिप त्यागी की बेटी थी, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था।

8. उपरोक्त कथनों के साथ, पीड़ित व्यक्ति ने संपर्क किया

धारा 12 के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने घरेलू महिलाओं के संरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के तहत सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और मुआवजे के आदेश पारित करने की मांग की।

हिंसा अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'डी. वी. अधिनियम')। इसके अलावा, प्रार्थनाएँ थीं डी. वी. अधिनियम की धारा 22 के तहत मौद्रिक राहत के लिए भी किया गया।

9. पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किए गए उपरोक्त आवेदन के जवाब में, उत्तरदाताओं ने इस आशय का एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया कि

पीड़ित व्यक्ति की शादी 18 जून, 2005 को हरिद्वार में एक साधारण समारोह में की गई थी। यह कि समारोह के समय उत्तरदाताओं को कोई दहेज या स्त्रीधन की वस्तुएं नहीं सौंपी गईं, इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा पीड़ित व्यक्ति को उसे वापस करने का सवाल ही नहीं उठेगा। कि पीड़ित व्यक्ति विवाह की तारीख से अट्ठाईस दिनों की अवधि में मृतक के माध्यम से बच्चे की कल्पना नहीं कर सकता था और इस तरह का दावा न केवल गलत बल्कि अप्राकृतिक था।

10. कि उत्तरदाताओं ने किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया था। कि उसका बयान इस प्रभाव के लिए कि वह रह रही थी

उसके तुरंत बाद की अवधि के दौरान उसके पति का पैतृक घर

उसकी शादी असत्य थी क्योंकि वह अपनी शादी के बाद केवल एक रात उत्तरदाताओं के साथ रही। 11. जहां तक मारुति (ऑल्टो) कार का संबंध है, यह कहा गया था कि यह पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में दी गई स्त्रीधन का हिस्सा नहीं थी।

लेकिन इस उद्देश्य के लिए प्रत्यर्थी नं. 1 से पैसे उधार लेने के बाद, कुलदिप त्यागी द्वारा खरीदा गया था। 1
.

कि पीड़ित व्यक्ति ने झूठे तथ्य प्रस्तुत करके उसका नाम उसके स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में कुलदिप त्यागी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज कराया था। 31 मार्च, 2006 के उक्त आवेदन में उन्होंने कहा था कि कुलदिप त्यागी के पास कोई संतान या उत्तराधिकारी नहीं था। कि यथास्थिति का आदेश प्रत्यर्थी नं. 1 तहसीलदार के सामने सही तथ्य प्रस्तुत करके।

यह माना गया कि उत्तरदाताओं ने घरेलू हिंसा का कोई कार्य नहीं किया था। उस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थियों ने निचली अदालत के समक्ष प्रार्थना की कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन-पीड़ित

बर्खास्त किया जाए।

12. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, देहरादून ने 12 मई, 2011 के फैसले द्वारा पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों को पीड़ित व्यक्ति का अपमान करने और उसे बदनाम करने के लिए मौद्रिक मुआवजे के रूप में Rs.10,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया। आवेदन के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित मारुति (ऑल्टो) कार को छोड़कर, स्त्रीधन की वस्तुओं को पीड़ित व्यक्ति को उसके देहरादून स्थित आवास पर उपलब्ध कराया जाना था। यह भी निर्देश दिया गया कि

प्रतिवादी पीड़ित व्यक्ति और उसकी बेटी को स्वर्गीय कुलदिप त्यागी की संपत्ति का लाभ उठाने से नहीं रोकेंगे।

विचारण न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

प्रभाव के प्रति उत्तरदाताओं के तर्क के संबंध में

(i)

कि यह अस्वाभाविक था कि पीड़ित व्यक्ति था

बीस-आठ दिनों के भीतर गर्भ धारण करना अप्राकृतिक था, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि एक पूर्ण संभावना थी

इस तरह के तथ्य। ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए, विचारण न्यायालय ने उत्तरदाताओं के प्रस्तुत करने पर इस प्रभाव पर भरोसा किया कि -

पीड़ित व्यक्ति ने अपने पति के साथ स्वतंत्र रूप से रहने के लिए 20 जून, 2005 को अपना पैतृक घर छोड़ दिया। उक्त निवेदन के आलोक में, निचली अदालत ने नोट किया कि पीड़ित व्यक्ति अपने पति के साथ उसकी मृत्यु के दिन तक रहा और इसलिए उसकी गर्भावस्था के बारे में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं था

और इसलिए, उत्तरदाताओं का यह तर्क कि बेटी कुलदिप त्यागी की नहीं थी, निराधार था।

कि इस तथ्य से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है

(ख)

कि पीड़ित व्यक्ति ने तहसीलदार के समक्ष दायर आवेदन में गलत तरीके से कहा था कि
पीड़ित व्यक्ति के अलावा कुलदिप त्यागी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था।

क्योंकि उन्हें इस तरह के बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

पीड़ित के पितृत्व से संबंधित वह आरोप

iii)

व्यक्ति की बेटी ने संभवतः उसे भावनात्मक नुकसान पहुंचाया था, जिससे एक शिक्षक के रूप में उसका पेशा भी प्रभावित हुआ था। उस प्रकाश में, यह देखा गया कि पीड़ित व्यक्ति एक था

[2022] 5 एस. सी. आर. की धारा 1 (डी) (iii) के तहत घरेलू हिंसा का शिकार।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

डी. वी. अधिनियम Rs.10,000/- की प्रतीकात्मक राशि प्रदान की गई।

पीड़ित को हुए भावनात्मक नुकसान की भरपाई करने के लिए।

कि पीड़ित ने अपने पति की मृत्यु के तेरह दिन बाद अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया, उत्तरदाताओं द्वारा बार-बार ताना मारने और गाली देने के कारण। कि कोई प्रतिपरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी

उत्तरदाताओं द्वारा इस तथ्य का खंडन करने के लिए। इसलिए, यह स्थापित किया गया कि पीड़ित ने अपना वैवाहिक जीवन नहीं छोड़ा था

उत्तरदाताओं। कि पीड़ित व्यक्ति ने कुलदिप त्यागी की मृत्यु के बाद फिर से शादी नहीं की थी। इसलिए, वह उत्तरदाताओं के परिवार की बहू बनी रही और उसे अपने मृत पति की संपत्ति पर अधिकार था। राहत

डी. वी. अधिनियम की धारा 19 के तहत दिया गया था,

अपने पति से मिलने की स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्र निवास

घर क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि

पीड़ित की सास की। कि वह उन्हीं सुविधाओं का आनंद लेने की हकदार होगी जो उसके मृतक को मिलती हैं अपने जीवनकाल में पति। उत्तरदाताओं को पीड़ित के अपने पति के अधिकारों को बाधित करने से रोक दिया गया था।

संपत्ति। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि न्यायिक

मजिस्ट्रेट के पास राजस्व में पीड़ित का नाम दर्ज कराने के संबंध में कोई आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अभिलेख।

कि उत्तरदाताओं द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया था जो यह स्थापित करे कि शादी के समय कोई स्त्रीधन नहीं दिया गया था। इसलिए, स्ट्रिधन के सभी लेख सूचीबद्ध हैं।

के समक्ष दायर आवेदन के साथ संलग्न सूची में मजिस्ट्रेट को पीड़ित को वापस करने का निर्देश दिया गया।

दुखी होने के कारण, प्रत्यर्थी नं। 1 , व्यक्ति की सास ने सत्र न्यायाधीश, देहरादून के समक्ष 2011 की आपराधिक अपील संख्या 53 को प्राथमिकता दी। 11 जुलाई के फैसले द्वारा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया,

【 ऐ, 2011।

प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णायक निष्कर्षों को प्रभा त्याग बनाम में समाहित किया गया है।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उत्तरदाताओं से संबंधित परिवार, झबरेडा में स्थित है, लेकिन अपने पति के साथ रुड़की में रहती थी। कि पीड़ित व्यक्ति रुड़की में एक घर रखता था और काम के लिए रोजाना झबरेडा जाता था, लेकिन कभी भी घर साझा नहीं करता था

उत्तरदाताओं के साथ।

यह देखते हुए कि पीड़ित व्यक्ति कभी भी उत्तरदाताओं के साथ झबरेड़ा में नहीं रहा, यह असंभव था कि उसके परिवार ने उत्तरदाताओं को स्त्रीधन की वस्तुओं को वितरित किया था। झबरेदा। कि स्ट्रिधन का अधिकार प्रत्यर्थियों के पास निहित नहीं था। इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा स्त्रीधन को परेशान करने या उपयोग करने के बारे में कोई सवाल ही नहीं उठेगा।

जो वास्तव में उनके कब्जे में कभी नहीं था।

कि पीड़ित व्यक्ति ने कोई सबूत नहीं दिया था

यह स्थापित करें कि अपने पति की मृत्यु के बाद, वह तेरह दिनों तक उत्तरदाताओं के साथ झबरेदा में रही थी। कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद भी रुड़की में रहती रही। कि यह प्रदर्शित करने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में कि पीड़ित व्यक्ति कभी भी उत्तरदाताओं के साथ रहता था, घरेलू हिंसा के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था

उत्तरदाताओं की ओर से। कि पीड़ित व्यक्ति निवास आदेश के संदर्भ में किसी भी राहत का हकदार नहीं था, जब तक कि उसे एक विशिष्ट हिस्सा आवंटित नहीं किया जाता है।

उसके मृत पति और प्रत्यर्थियों के संयुक्त स्वामित्व में रखी गई संपत्ति का कानूनी विभाजन।

कि प्रत्यर्थियों को स्त्रीधन की डिलीवरी के बारे में किसी भी सबूत के अभाव में, स्त्रीधन वस्तुओं के कब्जे को बहाल करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

पीड़ित व्यक्ति का।

प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले से दुखी, न्यायाधीश ने देहरादून में उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। 23 जुलाई, 2019 के फैसले से पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और पांचवें सत्र न्यायाधीश, देहरादून के फैसले को बरकरार रखा गया।

उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए थे

डिगमेंटः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि डी. वी. की धारा 12 (1) के प्रावधानों के अनुसार।

(i)

अधिनियम, एक घरेलू घटना रिपोर्ट की आवश्यकता है अनिवार्य रूप से एक सुरक्षा अधिकारी या एक सेवा द्वारा दायर किया गया

मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रदाता इस आधार पर डी. वी. अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं

ऐसी रिपोर्ट। कि वर्तमान मामले में, पीड़ित व्यक्ति ने केवल घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया था और चूंकि उसके साथ एक रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए डी. वी. अधिनियम की धारा 12 (1) की शर्तें।

वे संतुष्ट नहीं थे। कि यह स्थापित करने के लिए कि उत्तरदाताओं ने प्रतिबद्ध किया था

(ख)

डी. वी. अधिनियम के तहत विचार के अनुसार हिंसा, यह आवश्यक है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ एक घर साझा कर रहा था

उत्तरदाताओं और पक्षों के बीच एक घरेलू संबंध था। कि पीड़ित व्यक्ति रह रहा था उसकी शादी के दिन से उत्तरदाताओं से अलग। कि पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थियों के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं था, इसलिए, डी. वी. के प्रावधानों के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती थी।

एक्ट करें। कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि स्ट्रिधन के सभी लेख

iii)

जिन्हें इस संबंध में प्रस्तुत बिलों के अनुसार रुड़की में खरीदा गया था, उत्तरदाताओं को वितरित किया गया था

झबरेदा।

पीड़ित अपीलार्थी ने इसे चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है

प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय।

प्रस्तुतियाँः

15. हमने अपीलार्थी-पीड़ित व्यक्ति के आधे विद्वान न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री के. के. श्रीवास्तव को सुना है। हमने गौर किया है

अभिलेख पर एटरियल।

16. विद्वान न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल की प्रस्तुतियाँ

2 , ये निम्नानुसार हैं:

((i)

शुरुआत में, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, देहरादून, प्रभा त्यागी बनाम के न्यायालय के फैसले को रद्द करने में गलती की थी।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

दिनांक 12 मई, 2011 को प्राथमिक आधार पर कि पीड़ित व्यक्ति उत्तरदाताओं के साथ घर साझा नहीं कर रहा था और पक्षों के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं था और इसलिए, डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई राहत नहीं दी जा सकती थी। उक्त विवाद पर विस्तार से बताते हुए, अपीलार्थी-पीड़ित व्यक्ति के लिए विद्वान न्यायमित्र ने डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 2 (एस) को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया कि एक पीड़ित व्यक्ति को डी. वी. अधिनियम के तहत परिभाषित 'घरेलू संबंध' में होना चाहिए ताकि अपीलार्थी-पीड़ित व्यक्ति को आकर्षित किया जा सके। डी. वी. अधिनियम के प्रावधान। यदि ऐसा व्यक्ति रह रहा है, या किसी भी समय उन व्यक्तियों के साथ 'साझा घर' में एक साथ रहा है जिनके खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप हैं।

हिंसा की गई है, डी. वी. अधिनियम के प्रावधान

आवेदन करेंगे। कि वर्तमान मामले में, पीड़ित व्यक्ति, 15 जुलाई, 2005 को अपने पति की मृत्यु के बाद, उलेदा में प्रत्यर्थियों के पारिवारिक घर में रहता था।

और तेरह दिनों तक वहाँ रहे। कि ऐसा निवास उन उत्तरदाताओं के आचरण के कारण जारी नहीं रह सका, जिन्होंने पीड़ित व्यक्ति को मानसिक शोषण का शिकार बनाया, जिससे वह साझा घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। पीड़ित व्यक्ति द्वारा साझा घर में फिर से प्रवेश करने के प्रयासों को उत्तरदाताओं द्वारा बाधित किया गया था।

अपने पति की मृत्यु के कारण उसके वैवाहिक जीवन की छोटी अवधि और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे अपने पति की मृत्यु के बाद साझा घर में प्रवेश और निवास से वंचित कर दिया गया था, उस अवधि की अवधि जिसके दौरान पक्षकारों द्वारा घर साझा किया गया था, एक समान नहीं होनी चाहिए।

पीड़ित व्यक्ति को डी. वी. अधिनियम के संरक्षण से वंचित करने का प्रभाव रखने पर विचार। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि पीड़ित व्यक्ति के पति की मृत्यु के परिणामस्वरूप घरेलू संबंध समाप्त नहीं होंगे। कि अपीलार्थी-पीड़ित व्यक्ति

उसकी शादी के आधार पर उत्तरदाताओं से संबंधित रहना जारी रहेगा। कि एकमात्र कारक जो पीड़ित व्यक्ति को उसके साथ घरेलू संबंध जारी रखने से अक्षम करता है

उत्तरदाता उत्तरदाताओं का आचरण था। फिर भी, वह डी. वी. अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा करने के लिए पात्र होगी क्योंकि घरेलू संबंधों की परिभाषा डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ओं) के तहत प्रदान की गई है जो [2022] 5 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इसमें न केवल दो लोगों के बीच का संबंध शामिल है जो वर्तमान में एक साझा घर में एक साथ रहते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों तक भी फैला हुआ है जो किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं। कि अपने पति की मृत्यु के बाद की छोटी अवधि, जिसके दौरान पीड़ित व्यक्ति उत्तरदाताओं के साथ एक घर साझा करता था, उस अवधि के रूप में योग्य होगी जिसके दौरान पीड़ित व्यक्ति और उत्तरदाता 'घरेलू संबंध' में थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि पीड़ित व्यक्ति का उस समय रहना अनिवार्य नहीं है जब

हिंसा, उन व्यक्तियों के साथ जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। इस संदर्भ में, सतीश चंदर आहूजा बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था। स्नेहा आहूजा-[(2021) 1 एस. सी. सी. 414] जिसमें वाक्यांश 'जीवित है या किसी भी स्तर पर जीवित है', जैसा कि डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ओं) में दिखाई देता है, की व्याख्या ऐसे परिवार के रूप में की गई थी जिसे पीड़ित व्यक्ति के साथ साझा किया गया था।

हाल के दिनों में इससे बाहर रखा गया था। उक्त निर्णय के आलोक में, यह आग्रह किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि उत्तरदाता उस समय पीड़ित व्यक्ति के साथ रह रहे होंगे जब घरेलू हिंसा के कथित कृत्यों को कायम रखा गया था क्योंकि इस आशय की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। वह इस चेतावनी के अधीन है कि एक पीड़ित व्यक्ति ने, किसी समय, व्यक्तियों के साथ एक घर साझा किया है

जिन्होंने कथित रूप से घरेलू हिंसा के कार्य किए हैं, फिर ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य

जिस अवधि में पार्टियां रह रही थीं

साझा परिवार, या ऐसी अवधि के बाद भी, पीड़ित व्यक्ति को एक सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा। डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत।

यह आग्रह किया गया कि डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डी. वी. अधिनियम के तहत महिलाओं को दी गई सुरक्षा उन्हें व्यापक रूप से उपलब्ध कराई जाए। जिसका दायरा सीमित है

घरेलू हिंसा के मामले, केवल उन मामलों के लिए जिनमें पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ घरेलू हिंसा की गई थी, जबकि प्रभा त्यागी बनाम।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

वह साझा घर में रह रही थी, अधिनियम के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पाएगी।

विद्वान न्याय मित्र श्री गौरव अग्रवाल, अगला

तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा घरेलू घटना रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दायर की जानी चाहिए और यह केवल ऐसी रिपोर्ट के आधार पर है कि मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के अपराध का संज्ञान ले सकता है। सीखा है।

अपीलार्थी के लिए न्यायमित्र-घरेलू मामलों से महिलाओं के संरक्षण के नियम 5 में संदर्भित पीड़ित व्यक्ति

हिंसा नियम, 2006 (संक्षेप में, 'डी. वी. नियम') जिसमें एक सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है और

उसी को मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करें और रिपोर्ट की प्रतियां उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को भेजें, जहां घरेलू हिंसा के कथित कार्य हुए हैं, और क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं को भेजें। उक्त नियम को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दिया गया कि घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता केवल उन मामलों में उत्पन्न होती है जहां एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा एक सुरक्षा अधिकारी को शिकायत की गई है। कि एक मजिस्ट्रेट जो डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करता है, किसी के द्वारा आवश्यक नहीं है

कानूनी प्रावधान, घरेलू घटना रिपोर्ट के लिए बुलाने के लिए। कि धारा 12 के तहत एक आवेदन का निपटान घरेलू घटना रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना भी किया जा सकता है। कि धारा 12 की एकमात्र आवश्यकता यह है कि, यदि किसी सुरक्षा अधिकारी को शिकायत की जाती है और ऐसे अधिकारी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो मजिस्ट्रेट उसी पर विचार करेगा। कि ऐसे मामलों में जहां एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा शिकायत नहीं की जाती है, विशेष रूप से घरेलू घटना के लिए बुलाने और उस पर विचार करने का कोई कारण नहीं है रिपोर्ट करें।

इस संदर्भ में, डी. वी. अधिनियम की धारा 12 का संदर्भ दिया गया था जो एक पीड़ित व्यक्ति या एक सुरक्षा अधिकारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

डी. वी. अधिनियम के तहत राहत की मांग करना। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां एक पीड़ित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से [2022] 5 एस. सी. आर. बनाता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन, मजिस्ट्रेट की ओर से घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करने या बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, मामलों में

जहाँ एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन किया गया है, वहाँ उसे अनिवार्य रूप से एक घरेलू घटना रिपोर्ट के साथ रखा जाएगा और जब ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को उस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वैधानिक इरादा इस आशय का नहीं हो सकता है कि मजिस्ट्रेट घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में डी. वी. अधिनियम की धारा 18 से 20 और धारा 22 के तहत कार्यवाही नहीं करेगा या राहत नहीं देगा। कि इस तरह की व्याख्या डी. वी. अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देगी क्योंकि यह मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करेगी।

रिपोर्ट के अभाव में आदेश पारित करना।

यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय डी. वी. अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मामले को सही और सही परिप्रेक्ष्य में देखने में विफल रहे हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह प्रार्थना की गई थी कि उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार किया जाए और निचली अदालत के निर्णय को रद्द किया जाए।

पुनर्स्थापित करें।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तर्क दिया कि उक्त निर्णय उचित हैं और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत करके उल्लेख नहीं किया जाता हैः

इस बात से इनकार किया गया कि पीड़ित व्यक्ति उत्तरदाताओं के साथ घरेलू संबंध में था। यह प्रस्तुत किया गया कि

पीड़ित व्यक्ति, कुलदिप त्यागी के साथ अपनी शादी के बाद, झबरेड़ा में उत्तरदाताओं के साथ नहीं, बल्कि उसके साथ रुड़की जिले, हरिद्वार में रह रहा था। कि उनके निवास स्थान को रुड़की के रूप में दर्ज किया गया था, मजिस्ट्रेट के समक्ष डी. वी. अधिनियम के तहत दायर आवेदन के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों में उसका नाम बदलने के लिए राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में

उसके मृतक की संपत्ति से संबंधित पति। कि कुलदिप त्यागी की मृत्यु के बाद भी, पीड़ित व्यक्ति उत्तरदाताओं के साथ नहीं रहता था।

प्रभा त्यागी बनाम। कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

कि पीड़ित व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली थी और अपने पति की मृत्यु के बाद तेरह दिनों तक झबरेदा में रही थी।

यह तर्क दिया गया कि उक्त तथ्यों को देखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि पक्षों के बीच एक 'घरेलू संबंध' बना हुआ है, जिसके आधार पर डी. वी. अधिनियम के तहत राहत का दावा किया जा सकता है। जिसके आधार पर

डी. वी. अधिनियम का नामकरण, डी. वी. अधिनियम के तहत कोई भी कथित हिंसा हमेशा 'घरेलू संबंध' के संबंध में होनी चाहिए और इसलिए, घरेलू संबंध का निर्वाह डी. वी. अधिनियम की धारा 12 को लागू करने और डी. वी. अधिनियम की धारा 18 से 20 और धारा 22 के तहत अनुध्यात राहत देने के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

यह भी आग्रह किया गया कि घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान नहीं ले सकते थे। कि धारा 12 (1) मजिस्ट्रेट पर घरेलू मामले पर विचार करने का अनिवार्य कर्तव्य डालती है। कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए डी. वी. अधिनियम के तहत प्रस्तुत घटना रिपोर्ट, और यह उसी पर विचार करने के बाद ही है कि डी. वी. अधिनियम की धारा 18 से 20 और धारा 22 के मूल प्रावधानों को एक पीड़ित व्यक्ति को इसका लाभ देने के लिए लागू किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में, श्री के. के. श्रीवास्तव ने धारा 12 (1) की भाषा का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि वाक्यांश का उपयोग [2022] 5 एस. सी. आर. में किया गया है।

परंतुक किसी भी घरेलू पर विचार करेगा

घटना रिपोर्ट 'इस प्रकार सुझाव देती है कि घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करने की आवश्यकता अनिवार्य है,

चाहे शिकायतकर्ता को आवेदन दायर करने से पहले सुरक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो या नहीं। मजिस्ट्रेट के सामने। घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार न करने से मामले की जड़ पर असर पड़ेगा और इस तरह की अनियमितता से निर्णय लिया जाएगा।

मजिस्ट्रेट की, एक शून्यता।

(v)

अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही

वे दुर्भावनापूर्ण, गलत धारणा वाले थे और उत्तरदाताओं को परेशान करने के एकमात्र इरादे से शुरू किए गए थे और विशेष रूप से, प्रतिवादी नहीं। 1 , सास होने के नाते

पीड़ित व्यक्ति, जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। कि उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के निर्णय को सही ढंग से दरकिनार कर दिया और कहा कि डी. वी. अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। कि उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय कानून के सही और सही मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं और वे नहीं हो सकते हैं

इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया।

18. संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों ने भरोसा किया है

प्रस्तुतियों के समर्थन में इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में। उसी का उल्लेख बाद में किया जाएगा।

विचार के लिए बिंदुः

19. विद्वान न्यायमित्र/वकील की प्रस्तुतियाँ

दृष्टि पक्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने के लिए थे जो

11 फरवरी, 2022 के आदेश के माध्यम से उठाया गयाः

" (i) क्या घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार किया जाता है

डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले अनिवार्य

उक्त अधिनियम की धारा 18 से 20 और 22 के मूल प्रावधानों को लागू करने का आदेश?

((ii) क्या पीड़ित व्यक्ति का रहना अनिवार्य है। उन व्यक्तियों के साथ जिनके खिलाफ हिंसा के बिंदु पर आरोप लगाए गए हैं?

(iii) क्या पीड़ित व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच एक स्थायी घरेलू संबंध होना चाहिए जिसके खिलाफ

राहत का दावा किया गया है? "

कानूनी ढांचाः

20. एक आसान और तत्काल संदर्भ के लिए, निम्नलिखित प्रावधान जैसे डी. वी. अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण निम्नानुसार निकाला गया हैः

" 2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

(क) 'पीड़ित व्यक्ति' से कोई भी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है और जो आरोप लगाती है -

द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन किया गया है उत्तरदाता;

XXX

(ई) 'घरेलू घटना रिपोर्ट' का अर्थ है निर्धारित में दी गई रिपोर्ट।

(च) 'घरेलू संबंध' का अर्थ है दोनों के बीच का संबंध। ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं या हैं, किसी भी समय, एक साथ रहते थे

साझा घर, जब वे रक्त-संबंध से संबंधित होते हैं,

विवाह, या विवाह, गोद लेने की प्रकृति के संबंध के माध्यम से या परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं;

XXX

((स) 'साझा घर' का अर्थ है एक ऐसा घर जहाँ व्यक्ति

व्यथित जीवन या किसी भी स्तर पर या तो अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहा है और इसमें ऐसा भी शामिल है -

गृह धारण चाहे उसका स्वामित्व हो या संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया हो

पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी, या उनमें से किसी एक के स्वामित्व या किरायेदार, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या

प्रत्यर्थी या संयुक्त रूप से या अकेले दोनों के पास कोई अधिकार, स्वामित्व, ब्याज या समानता है और इसमें ऐसा परिवार शामिल है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसका प्रत्यर्थी सदस्य हो, चाहे प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति को कोई अधिकार हो।

साझा परिवार में शीर्षक या ब्याज। "[2022] 5 एस. सी. आर.

" 3. घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रतिवादी का कोई भी कार्य, चूक या कार्य या आचरण घरेलू हिंसा का गठन करेगा।

(ख) पीड़ित व्यक्ति को परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, घायल करता है या उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से खतरे में डालता है; या (ग) पीड़ित व्यक्ति या किसी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव है।

खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित किसी आचरण द्वारा उससे संबंधित; या (घ) अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुँचाता है या नुकसान पहुँचाता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। स्पष्टीकरण I-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

((i) 'शारीरिक शोषण' से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो शारीरिक पीड़ा, हानि या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है या पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य या विकास को बाधित करता है।

और इसमें हमला, आपराधिक धमकी और आपराधिक बल शामिल हैं; ((ii) 'यौन शोषण' में यौन प्रकृति का कोई भी आचरण शामिल है जो यौन उत्पीड़न, अपमान, अपमान या अन्यथा यौन अधिकार की गरिमा का उल्लंघन करता है।

(iii) 'मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार' में शामिल हैं (क) अपमान, उपहास, अपमान, नाम पुकारना और अपमान या उपहास विशेष रूप से बच्चे या पुरुष बच्चे के न होने के संबंध में; और

(ख) पीड़ित व्यक्ति की रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देने की बार-बार धमकी देना।

((iv) 'आर्थिक दुरुपयोग' में शामिल हैं -

(क) उन सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करना जिनके लिए पीड़ित व्यक्ति किसी भी कानून या प्रथा के तहत हकदार है, चाहे वह अदालत के आदेश के तहत देय हो या अन्यथा या जिसकी पीड़ित व्यक्ति आवश्यकता से बाहर मांग करता है, जिसमें प्रभा त्यागी v शामिल है, लेकिन नहीं।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

पीड़ित व्यक्ति और उसके लिए घर की आवश्यकताओं तक सीमित

बच्चे, यदि कोई हों, तो स्त्रीधन, संपत्ति, संयुक्त रूप से या अलग से पीड़ित व्यक्ति के स्वामित्व में, साझा से संबंधित किराए का भुगतान।

(बी) घरेलू प्रभावों का निपटान, संपत्ति का कोई हस्तांतरण, चाहे वह चल हो या अचल, कीमती सामान, शेयर, प्रतिभूतियां, बांड और ऐसी ही या अन्य संपत्ति जिसमें पीड़ित व्यक्ति का हित है या वह घरेलू संबंध के आधार पर उपयोग करने का हकदार है या जिसकी पीड़ित व्यक्ति या उसके बच्चों या उसकी स्त्रीधन या किसी अन्य संपत्ति द्वारा संयुक्त रूप से यथोचित आवश्यकता हो सकती है या पीड़ित व्यक्ति द्वारा अलग से आयोजित; और

(ग) उन संसाधनों या सुविधाओं तक निरंतर पहुंच का निषेध या प्रतिबंध, जिनका पीड़ित व्यक्ति उपयोग करने या आनंद लेने का हकदार है।

साझा घर तक पहुंच सहित घरेलू संबंधों का गुण। स्पष्टीकरण II। यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या प्रतिवादी का कोई कार्य, चूक, कार्य या आचरण इस धारा के तहत 'घरेलू हिंसा' का गठन करता है, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा।

एक्स एक्स एक्स

" 12. मजिस्ट्रेट को आवेदन। — (1) पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई पीड़ित व्यक्ति या सुरक्षा अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैः

बशर्ते कि ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत मांगी गई राहत में मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश जारी करने के लिए राहत शामिल हो सकती है या

प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों से हुई चोटों के लिए मुआवजे या नुकसान के लिए मुकदमा दायर करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नुकसानः

बशर्ते कि जहां मुआवजे के रूप में किसी राशि के लिए डिक्री या

हर्जाना पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में किसी भी अदालत द्वारा पारित किया गया है, राशि, यदि कोई हो, तो [2022] 5 एस. सी. आर. के अनुसरण में भुगतान या देय है।

इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को ऐसी डिक्री के तहत देय राशि के खिलाफ रद्द कर दिया जाएगा और डिक्री, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी निकासी के बाद बची हुई शेष राशि, यदि कोई हो, के लिए निष्पादन योग्य होगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और इसमें ऐसे विवरण होंगे जो निर्धारित किए जाएं या जहां तक संभव हो सके।

(4) मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख तय करेगा, जो आम तौर पर अदालत द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन से अधिक नहीं होगी। (5) मजिस्ट्रेट अपनी पहली सुनवाई की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा करने का प्रयास करेगा।

XXX

साझा घराने में रहने का अधिकार, चाहे उसका कोई अधिकार, अधिकार या लाभकारी हित हो या न हो। (2) पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर प्रतिवादी द्वारा साझा घर या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बाहर नहीं किया जाएगा।

XXX

" 23. अंतरिम और एकतरफा आदेश देने की शक्ति। — (1) इस अधिनियम के तहत अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही में, मजिस्ट्रेट ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित और उचित लगे।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि कोई आवेदन प्रथम दृष्टया यह खुलासा करता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या उसने घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया है या इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह शपथ पत्र के आधार पर एक पक्षीय आदेश दे सकता है, जो कि निर्धारित किया जा सकता है, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, जैसा भी मामला हो, प्रतिवादी के खिलाफ धारा 22 के तहत पीड़ित व्यक्ति का। प्रभा त्यागी बनाम।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

आगे बढ़ने से पहले, इसका उल्लेख करना उपयोगी होगा

इस न्यायालय के दो निर्णय जिसमें इस न्यायालय ने

डी. वी. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानः

जुवेरिया में अब्दुल माजिद पटनी बनाम आतिफ इकबाल मंसूरी

और एक अन्य-[(2014) 10 एस. सी. सी. 736], इस न्यायालय ने डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा की व्याख्या करते हुए कहा कि घरेलू संबंध रखने वाली महिला के अलावा, कोई भी महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रही है, अगर आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन किया गया है, तो यह पीड़ित के अर्थ में आता है। व्यक्ति। इसके अलावा, डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) में कहा गया है कि एक व्यथित व्यक्ति (इसमें विधवा) जो किसी भी समय

व्यथित व्यक्ति किसी भी स्तर पर प्रत्यर्थी के साथ एक घर में घरेलू संबंध में रहा है, एक साझा घर में अधिकार का दावा कर सकता है। डी. वी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, यह न्यायालय वी. डी. भनोट बनाम का उल्लेख करते हुए। सविता

भनोट-[(2012) 3 एस. सी. सी. 183] ने माना कि डी. वी. अधिनियम के लागू होने से पहले भी पक्षों का आचरण।

धारा 18,19 और 20 के तहत आदेश पारित करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है। वह पत्नी जो अतीत में एक घर साझा करती थी लेकिन अब रह नहीं रही थी

यदि उसका पति घरेलू हिंसा का शिकार होता है तो वह धारा 12 के तहत याचिका दायर कर सकता है। यह आगे देखा गया कि जहां एक बार घरेलू हिंसा का कार्य किया जाता है, तो

कृष्ण भट्टाचार्जी बनाम सारथी के मामले में चौधरी और एक अन्य-[(2016) 2 एस. सी. सी. 705], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के दो साल बाद, स्त्रीधन की वसूली का दावा विचारणीय है। अदालत ने कहा कि न्यायिक अलगाव [2022] 5 एस. सी. आर. के साथ पठित धारा 2 (ए) के तहत एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में पत्नी की स्थिति को नहीं बदलता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पति-पत्नी संबंध और संबंध का पूर्ण अलगाव नहीं जैसा कि तलाक के मामले में होता है। इसके अलावा, डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर एक आवेदन पत्नी को किसी भी सीमा से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

उक्त मामले में, इस न्यायालय ने सरस्वती को संदर्भित किया

बनाम बाबू-- (2014) 3 एस. सी. सी. 712।

इसके अलावा, जे. दीपक मिश्रा (उस समय उनके अधिपति के रूप में)

दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा गया कि

धारा 2 (च) के तहत घरेलू संबंधों की परिभाषा

डी. वी. अधिनियम बहुत व्यापक है और उक्त के तहत संरक्षण है

एक पत्नी को प्रावधान दिया जाएगा, भले ही वह न्यायिक रूप से हो

अलग, इस प्रकार अवलोकन करके:

" 18. मुख्य मुद्दा जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है वह है

क्या अपीलार्थी का 'व्यथित' होना बंद हो गया है

न्यायिक अलगाव और फैसला सुनाया कि न्यायिक अलगाव अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है। एक डिक्री या न्यायिक अलगाव के लिए एक आदेश पक्षों को अलग रहने की अनुमति देता है। किसी भी पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहने की कोई बाध्यता नहीं होगी। विवाह से उत्पन्न होने वाले पारस्परिक अधिकार और दायित्व

निलंबित कर दिए जाते हैं। हालाँकि, डिक्री विवाह को विच्छेदित या विघटित नहीं करती है। यह एक अवसर देता है

सुलह और समायोजन। हालाँकि न्यायिक अलगाव

एक निश्चित अवधि के बाद तलाक का आधार बन सकता है, यह

यह आवश्यक नहीं है और पक्ष इसके लिए बाध्य नहीं हैं

उस उपाय का सहारा लें और पक्षकार जीवित रह सकते हैं

उनके जीवनकाल तक पत्नी और पति के रूप में उनकी स्थिति।

रश्मी कुमार बनाम महेश कुमार 1997) 2 एस. सी. सी. 397] के मामले का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि स्त्रीधन की संपत्ति इस बात के प्रमाण पर पत्नी की संपत्ति का दुरूपयोग करती है कि उसने प्रभा त्यागी बनाम को सौंपा था।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

स्त्रीधन की संपत्ति पर उसके पति या किसी अन्य को अधिकार या अधिकार

परिवार के सदस्य। आगे स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है

यह साबित करने के लिए समझौता कि संपत्ति पति को दी गई थी उसके परिवार का सदस्य।

सीमा और/या 'जारी रखने' के मुद्दे पर विचार करते समय

सी. ई. '/' कार्रवाई का निरंतर कारण ', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 32. कानून के उपरोक्त कथन के संबंध में, हमारे पास है

यह देखने के लिए कि पति द्वारा स्त्रीधन को बनाए रखा गया है या कोई

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पत्नी स्त्रीधन की प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर कर सकती है लेकिन यह उसे आपराधिक के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकता है

विश्वास का उल्लंघन। 'निरंतर अपराध' की अवधारणा प्राप्त होती है स्त्रिधन के अभाव की तारीख से आकर्षित, न तो के लिए

स्त्रिधन के ऊपर और वे संरक्षक बने रहते हैं। 2005 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए, वह 2005 के अधिनियम के तहत एक या अधिक राहतों के लिए संरक्षण अधिकारी को आवेदन जमा कर सकती है। (ग)

हम अजय में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण का भी उल्लेख कर सकते हैं।

कुमार बनाम लता उर्फ शारुती और अन्य-[(2019) 15 एस. सी. सी. 352], जिसमें प्रतिवादी के पति की मृत्यु हो गई थी, और मृतक पति के भाई से भरण-पोषण का दावा किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रथम दृष्टया भरण-पोषण प्रदान करने का मामला बनाया गया था क्योंकि प्रतिवादी और उसका मृत पति एक ही घर में रहते थे और उसमें अपीलार्थी (मृत व्यक्ति का भाई) भी एक ही घर में रहता था।

आगे सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा में

(घ)

[(2021) 1 एस. सी. सी. 414], इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हम में से एक (शाह, जे.) सदस्य थे, ने इन अभिव्यक्तियों को 'जीवित है या किसी भी समय जीवित है' माना।

डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ओं) में प्रकट होना। यह न्यायालय एस. आर. में निर्धारित कानून की शुद्धता पर विचार करते हुए।

बत्रा बनाम। तरुणा बत्रा-[(2007) 3 एस. सी. सी. 169] ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त मामले ने डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ओं) की सही व्याख्या नहीं की थी और यह कि उक्त निर्णय उचित नहीं है।

एक सही कानून बनाएँ और निम्नानुसार देखा जाएः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 66. ..... धारा 2 (ओं) में 'पीड़ित व्यक्ति कहाँ रहता है' शब्दों के बाद 'किसी भी स्तर पर जीवित है' अभिव्यक्ति आती है। 'पीड़ित व्यक्ति का जीवन' शब्दों का उपयोग इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ में जो माना गया है, उससे अलग उद्देश्य के लिए किए जाने के तुरंत बाद 'किसी भी स्तर पर जीवित है' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। 26. 'किसी भी स्तर पर जीवित रहा है' अभिव्यक्ति का उपयोग महिलाओं को साझा रूप से जीने के अधिकार से वंचित करने से बचाने के लिए किया गया है।

परिवार इस आधार पर कि आवेदन दायर करने की तारीख को उसे घर के कब्जे से या अस्थायी रूप से बाहर रखा गया था

घर साझा घर बन जाएंगे, जो विधायी उद्देश्य नहीं है। साझा घर को घर माना जाता है, जो वर्तमान में पीड़ित व्यक्ति का निवास स्थान है। समय।

67. ... .अधिनियम की पूरी योजना पीड़ित व्यक्ति को उस साझा परिवार के संबंध में तत्काल राहत प्रदान करना है जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या रहता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, 'किसी भी स्तर पर जीवित है' अभिव्यक्ति का उपयोग केवल पीड़ितों को सुरक्षा से वंचित नहीं करने के इरादे से किया गया था।

व्यक्ति केवल इस आधार पर कि पीड़ित व्यक्ति आवेदन की तारीख को या उस तारीख को जीवित नहीं है जब संबंधित मजिस्ट्रेट धारा 19 के तहत आदेश पारित करता है। इस न्यायालय द्वारा एस. आर. बत्रा बनाम में अनुच्छेद 26 में व्यक्त की गई आशंका। तरुणा बत्रा (ऊपर), इस प्रकार, सच्ची आशंका नहीं थी और यह सही है कि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार किए जाने की स्थिति में, यह अराजकता का कारण बनेगी और यह कभी भी विधायी इरादा नहीं था। इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि धारा 2 (ओं) में निर्दिष्ट साझा परिवार पीड़ित व्यक्ति का साझा परिवार है जहां वह उस समय रह रही थी जब आवेदन दायर किया गया था या हाल ही में उपयोग से बाहर रखा गया था या वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। 68. 'जीवन या किसी भी स्तर पर घरेलू रिश्ते में रहा है' शब्दों को इसका सामान्य और उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए। एक घर में महिला का रहना एक ऐसे जीवन को संदर्भित करता है जिसमें कुछ स्थायित्व हो। अलग-अलग स्थानों पर केवल क्षणिक या आकस्मिक रूप से रहने से एक साझा परिवार नहीं बनेगा। पार्टियों का इरादा और घर की प्रकृति सहित रहने की प्रकृति प्रभा त्यागी v.

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या पक्षकारों का इरादा परिसर को साझा घराने के रूप में मानने का था या नहीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम 2005 महिला के पक्ष में उच्च अधिकार देने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, 2005 हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है।

उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए इस तरह से व्याख्या की गई अधिनियम से। अधिनियम, 2005 की धारा 17 और 19 के साथ पठित धारा 2 (ओं) महिला के पक्ष में अधिकार प्रदान करती है

साझा परिवार के तहत निवास, चाहे उसके पास कुछ भी हो

उसी में कोई कानूनी हित या नहीं।

69. ..... साझा घराने की परिभाषा जैसा कि में देखा गया है

धारा 2 (ओं) यह इंगित नहीं करती है कि एक साझा परिवार वह होगा जो पति से संबंधित है या किराए पर लिया गया है। हमने अधिनियम के तहत 'प्रतिवादी' की परिभाषा पर ध्यान दिया है। द.

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी हो सकता है

पति का कोई रिश्तेदार। यदि साझा घर उस पति के किसी रिश्तेदार का है जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रही है, तो धारा 2 (ओं) में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं और उक्त घर एक साझा घर बन जाएगा।

गृहस्थ "।

विश्लेषणः

22. डी. वी. अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है कि एक पीड़ित व्यक्ति या

पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई सुरक्षा अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष एक या अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

डी. वी. अधिनियम के तहत राहत। हालांकि, परंतुक में कहा गया है कि इस तरह के आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करेगा। धारा 2 (ए) के तहत परिभाषित 'पीड़ित व्यक्ति' अभिव्यक्ति का अर्थ है कोई भी महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है या रही है और जो प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है। धारा 2 (च) में परिभाषित घरेलू संबंध का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच का संबंध जो रहते हैं या हैं, किसी भी समय, एक साझा घर में एक साथ रहते हैं, जब वे रक्त-संबंध, विवाह द्वारा संबंधित होते हैं।

या विवाह, गोद लेने की प्रकृति के संबंध के माध्यम से या परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं। घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो धारा 3 में दिया गया है।

जहाँ व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर प्रत्यर्थी के साथ या तो अकेले या घरेलू संबंध में रहा है और इसमें ऐसा परिवार शामिल है, चाहे वह व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, या उनमें से किसी एक के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, जिसके संबंध में व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, ब्याज या इक्विटी हो और इसमें ऐसा परिवार शामिल है जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें - प्रत्यर्थी एक सदस्य है, चाहे प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति का साझा परिवार में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हो।

साझा परिवार की परिभाषा इस प्रकार एक समावेशी है।

24. धारा 17 एक साझा घर में रहने के अधिकार की बात करती है जबकि धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है जो एक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय पारित किया जा सकता है, यह संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा एक साझा घर में हुई है। इस प्रकार, जबकि धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है, एक साझा घर में रहने के अधिकार के बारे में D.V.Act की धारा 17 में बताया गया है। धारा 17 की उप-धारा (1), जो एक गैर-निषेध खंड से शुरू होती है, में कहा गया है कि किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद

कुछ समय के लिए, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, चाहे उसका कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो या नहीं। उप-धारा (2) में कहा गया है कि किसी व्यथित व्यक्ति को बेदखल या साझा किए गए खाते से बाहर नहीं किया जाएगा।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर प्रत्यर्थी द्वारा घर या उसका कोई भी हिस्सा।

एक पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में परिवार, धारा 17 घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा संबंध में रहने का अधिकार प्रदान करती है। इस बात की परवाह किए बिना कि उसका कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित है। एक साझा घर में रहने का यह अधिकार जो घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को प्रदान किया जाता है, एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण अधिकार है। यह घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला के साझा घर में रहने के अधिकार की पुष्टि है। धारा 17 की उप-धारा (2) एक पीड़ित व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर प्रतिवादी द्वारा साझा घर या उसके किसी भी हिस्से से बेदखल या बाहर किए जाने से बचाती है।

प्रभा त्यागी बनाम का भेद। कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

घरेलू हिंसा के संदर्भ में डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ए) में परिभाषित, धारा 17 की उप-धारा (1) घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को प्रदान किया गया अधिकार है, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति हो या नहीं। दूसरे शब्दों में, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अभाव में भी साझा घर में रहने का अधिकार है। 26. घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला के रहने के अधिकार के महत्व और महत्व की सराहना करना आवश्यक है।

साझा घर। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अभिव्यक्ति 'साझा घर' को डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ओं) में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन धारा 17 में निहित अभिव्यक्ति, अर्थात् 'घर में रहने वाली प्रत्येक महिला'।

रिश्ते को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, भले ही उसका कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो, एक विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, हर्भजन सिंह बनाम भारतीय प्रेस परिषद-(ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1351)

जिस पर क्रॉस ऑन "स्टैच्युटरी इंटरप्रिटेशन" (तीसरा संस्करण, 1995) पर निम्नानुसार भरोसा किया गया हैः

" इस प्रकार, एक 'साधारण अर्थ' या 'व्याकरणिक अर्थ' का अर्थ यह नहीं है कि न्यायाधीश किसी क़ानून के शब्दों को उनके संदर्भ या क़ानून के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से एक अर्थ देता है, बल्कि यह है कि वह एक ऐसे अर्थ को अपनाता है जो तुरंत स्पष्ट और अनदेखे संदर्भ और उद्देश्य के संबंध में उपयुक्त है।

जिसमें और जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है।

28. उक्त अधिकार की बेहतर समझ के लिए, इसे भारत में सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ से जोड़ना भी उपयोगी होगा। 29. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, घरेलू संबंध का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं या रहते हैं। यह संबंध (i) समानुभूति, (ii) द्वारा हो सकता है।

विवाह या, (iii) विवाह की प्रकृति में किसी संबंध के माध्यम से, (iv) गोद लेना या (v) संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हैं।

अभिव्यक्ति 'घरेलू संबंध' एक व्यापक है। इसलिए, घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी भी तरीके से स्थापित किया जा सकता है, एक साझा घर में रहने का अधिकार है, चाहे उसका कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो या न हो। इस प्रकार, एक बेटी, बहन, पत्नी, माँ, दादी या परदादी, बहू, सास या विवाह की प्रकृति में संबंध रखने वाली किसी भी महिला, गोद ली हुई बेटी या संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य को साझा घर में रहने का अधिकार है।

30. इसके अलावा, हालांकि, 'साझा घर' शब्द को उस घर के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या रहता है।

धारा 17 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहने वाले, उक्त अभिव्यक्ति केवल उस परिवार तक ही सीमित नहीं हो सकती है जहां कोई पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर घरेलू संबंध में रहता है। दूसरे शब्दों में, घरेलू संबंध में एक महिला जो व्यथित नहीं है, इस अर्थ में कि जिसे प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के कार्य के अधीन नहीं किया गया है, उसे एक साझा घर में रहने का अधिकार है। इस प्रकार, घरेलू संबंध में एक माँ, बेटी, बहन, पत्नी, सास और बहू या ऐसी अन्य श्रेणियों की महिलाओं को साझा संबंध में रहने का अधिकार है।

प्रक्रिया के अनुसार के अलावा प्रतिवादी द्वारा साझा घर या उसके किसी भी हिस्से से हिंसा को बेदखल या बाहर नहीं किया जाएगा। कानून द्वारा स्थापित। इस प्रकार, 'एक साझा घर में रहने का अधिकार' अभिव्यक्ति को महिलाओं की उपरोक्त श्रेणियों के संबंध में एक विस्तृत व्याख्या दी जानी चाहिए, जिसमें एक बहू की सास और ऊपर उल्लिखित महिलाओं की अन्य श्रेणियां शामिल हैं, जिन्हें एक साझा घर में रहने का अधिकार है।

31. इसके अलावा, 'साझा घर में रहने का अधिकार' अभिव्यक्ति को वास्तविक निवास तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि

साझा घर में वास्तविक निवास की अनुपस्थिति, घरेलू संबंध में एक महिला उसमें रहने के अपने अधिकार को लागू कर सकती है।

उपरोक्त प्रभा त्यागी बनाम। कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

व्याख्या को एक चित्रण के माध्यम से समझाया जा सकता है। अगर एक महिला

शादी हो जाती है तो वह अपने पति के घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर लेती है जो तब एक साझा घर बन जाता है। डी. वी. अधिनियम। भारत में, एक महिला के लिए अपने पति के साथ रहना एक सामाजिक मानदंड है, जब तक कि पेशेवर, व्यावसायिक या अन्य कारणों से न हो।

नौकरी की प्रतिबद्धताओं, या अन्य वास्तविक कारणों से, पति और पत्नी अलग-अलग स्थानों पर रहने का फैसला करते हैं। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां घरेलू संबंध में महिला एक उचित कारण के कारण कहीं और रह रही है, उसे एक साझा घर में रहने का अधिकार है। इसके अलावा एक महिला जो घरेलू संबंध में है या रही है, उसे न केवल अपने पति के घर में रहने का अधिकार है, यदि वह किसी अन्य स्थान पर स्थित है जो एक साझा घर भी है, बल्कि साझा घर में भी है जो एक अलग स्थान पर हो सकता है जिसमें उसके पति का परिवार रहता है।

32. यदि घरेलू संबंध में कोई महिला साझा घर में रहने के अपने अधिकार को लागू करना चाहती है, चाहे वह उसमें रह रही हो या नहीं, तो उक्त अधिकार को निम्नानुसार लागू किया जा सकता है -

डी. वी. अधिनियम की धारा 17 की धारा (1)। यदि किसी साझा घर में रहने के उसके अधिकार का प्रतिवादी द्वारा विरोध किया जाता है या उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह एक पीड़ित व्यक्ति बन जाती है और उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है, यदि वह पहले से ही साझा घर में रह रही है या उससे बाहर है।

या इसका कोई भी हिस्सा यदि वह वास्तव में उसमें नहीं रह रही है। दूसरे शब्दों में, 'साझा घर में रहने का अधिकार' अभिव्यक्ति इन तक सीमित नहीं है -

केवल वास्तविक निवास के रूप में, वास्तविक निवास की परवाह किए बिना, घरेलू संबंध में एक महिला साझा निवास में रहने के अपने अधिकार को लागू कर सकती है।

साझा घर में रहने पर, उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, एक महिला घरेलू संबंध में जो एक व्यथित व्यक्ति है, उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर साझा घर में रहने के उसके अधिकार से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, 'साझा घर में रहने का अधिकार' अभिव्यक्ति में न केवल वास्तविक निवास शामिल होगा, बल्कि साझा घर में रचनात्मक निवास भी शामिल होगा, यानी उसमें रहने का अधिकार जिसे किसी व्यथित व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यदि किसी महिला को बेदखल करने या साझा घर से बाहर करने की मांग की जाती है तो वह [2022] 5 एस. सी. आर. करेगी।

33. इस व्याख्या के समर्थन में, एक और उदाहरण पर ध्यान दिया जा सकता है। एक महिला अपने पति के साथ शादी करने पर आगे बढ़ सकती है। पेशेवर या नौकरी की प्रतिबद्धताओं के कारण विदेश में। ऐसी महिला को साझा घर में रहने का अवसर नहीं मिला होगा।

शादी के बाद। यदि, किसी भी कारण से, ऐसी महिला पीड़ित व्यक्ति बन जाती है और उसे विदेश से लौटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसके पास है

अपने पति के साझा घर में रहने का अधिकार, चाहे उसके पति (प्रतिवादी) या पीड़ित व्यक्ति (पत्नी) का साझा घर में कोई अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो। ऐसी परिस्थितियों में, उस महिला के सास-ससुर, जो विदेश से लौटी है और जो एक पीड़ित व्यक्ति है, उसे इस मामले से बाहर नहीं कर सकते हैं।

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा साझा घर या इसका कोई भी हिस्सा।

एक अन्य स्थिति यह है कि विवाह के तुरंत बाद पत्नी वास्तव में साझा घर में रहती थी जबकि उसका पति

34. ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां शादी के तुरंत बाद, पति नौकरी की प्रतिबद्धता के कारण दूसरे शहर चला जाता है और उसकी पत्नी अपने माता-पिता के घर में रहती है और फिर भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है। उसे अपने माता-पिता के घर में रहने का अधिकार है क्योंकि वह रक्तपात से घरेलू संबंध में होगी। इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां एक महिला शादी के तुरंत बाद अपने माता-पिता के घर में रहती है और घरेलू हिंसा का शिकार होती है और इसलिए वह एक पीड़ित व्यक्ति है, उसे भी अपने पति के साझा घर में रहने का अधिकार है जो उसके ससुराल वालों का घर होना। इसके अलावा, यदि उसका पति किसी अन्य स्थान पर रहता है तो पीड़ित व्यक्ति को अपने पति के साथ उस स्थान पर रहने का अधिकार है जहां वह रहता है जो तब साझा घर बन जाएगा या अपने माता-पिता के साथ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य स्थान पर रहेगा। ऐसी कई और विभिन्न परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें घरेलू संबंध में एक महिला एक साझा घर में रहने के अपने अधिकार को लागू कर सकती है, भले ही उसका अधिकार, शीर्षक या लाभकारी हित हो। इसके अलावा, इस तरह के अधिकार को घरेलू संबंध में हर महिला द्वारा लागू किया जा सकता है, चाहे वह पीड़ित व्यक्ति हो या नहीं।

35. भारतीय सामाजिक संदर्भ में, एक महिला का साझा घर में रहने का अधिकार अद्वितीय महत्व का है। इसकी वजहें

वही देखने के लिए दूर नहीं हैं। भारत में, अधिकांश महिलाएं शिक्षित नहीं हैं और न ही वे कमाती हैं; न ही उन्हें अकेले रहने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता है। वह न केवल भावनात्मक समर्थन के लिए बल्कि उपरोक्त कारणों से घरेलू संबंध में निवास के लिए निर्भर हो सकती है। उक्त संबंध सहमति, विवाह या विवाह, गोद लेने की प्रकृति के संबंध के माध्यम से हो सकता है या एक संयुक्त परिवार का हिस्सा हो सकता है या एक साथ रह रहा हो सकता है। भारत में अधिकांश महिलाओं के पास स्वतंत्र आय या वित्तीय क्षमता नहीं है और वे अपने निवास के लिए पूरी तरह से अपने पुरुष या अन्य महिला संबंधों पर निर्भर हैं, जिनके साथ उनके घरेलू संबंध हो सकते हैं। 36. हमारे विचार में, डी. वी. अधिनियम नागरिक संहिता का एक हिस्सा है जो भारत में प्रत्येक महिला पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धार्मिक संबद्धता और/या सामाजिक पृष्ठभूमि की हो, ताकि संविधान के तहत उसके अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा की गारंटी दी जा सके और घरेलू संबंधों में होने वाली घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं की रक्षा की जा सके। इसलिए, 'संयुक्त परिवार' अभिव्यक्ति का अर्थ हिंदू कानून में समझा नहीं जा सकता है। इस प्रकार, 'संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य' अभिव्यक्ति का अर्थ है एक परिवार के रूप में संयुक्त रूप से रहने वाले सदस्य। इस तरह की व्याख्या में, यहां तक कि एक लड़की/बच्चे जिनकी देखभाल पालक बच्चों के रूप में की जाती है, उन्हें भी एक साझा घर में रहने का अधिकार है और उन्हें

डी. वी. अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत अधिकार। जब ऐसी बालिका या महिला पीड़ित व्यक्ति बन जाती है, तो

धारा 17 की उप-धारा (2) लागू होती है।

37. 'घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा' अभिव्यक्ति की विस्तृत व्याख्या करने के लिए, चित्रों के माध्यम से कुछ उदाहरणों पर ऊपर चर्चा की गई है। हालाँकि, वे चित्रण संपूर्ण नहीं हैं और कई परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो सकती हैं और घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला एक साझा घर में रहने के अपने अधिकार को लागू कर सकती है, भले ही उसका कोई अधिकार, अधिकार या लाभकारी हित हो और उक्त अधिकार को किसी भी महिला द्वारा उक्त प्रावधान के तहत एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में लागू किया जा सकता है, जो डी. वी. अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित किए जा सकने वाले आदेशों के अलावा है। एक पीड़ित महिला जिसे साझा घर में रहने का अधिकार है, उसे डी. वी. अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा संरक्षित किया जाता है।

38. श्रीमती के मामले में। भारती नायक बनाम श्री रवि रामनाथ हलारंकर और एक अन्य-[2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 243], द हाई

गोवा में बॉम्बे की अदालत ने माना कि डी. वी. अधिनियम में 'पीड़ित व्यक्ति' और 'प्रतिवादी' की परिभाषा में दिखाई देने वाले शब्द 'रहे हैं' और 'जीवित हैं' स्पष्ट और स्पष्ट हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त शब्द उनके व्यापक रूप में एक पिछले संबंध तक ले जाते हैं। संबंधित पक्षों के बीच पिछले संबंध या अनुभव को दिखाने के लिए शब्दों का उद्देश्यपूर्ण रूप से उपयोग किया गया है। यह भी देखा गया कि उक्त डी. वी. अधिनियम किसी महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है और प्रावधानों की व्याख्या करने से ऐसा कोई अवरोध नहीं आ सकता है जिसका अर्थ यह हो कि जब तक आवेदन की तारीख को घरेलू संबंध जारी नहीं रहते, तब तक डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

रामसुब्रमण्यन, जे. द्वारा लिखित, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (एफ), 2 (एस) और 17 को यथासंभव व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए। विभिन्न उदाहरणों और स्थितियों को देखने के बाद अदालत ने कहा कि कई महिलाएं वैवाहिक घर में प्रवेश भी नहीं कर सकती हैं

शादी के तुरंत बाद। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक स्वस्थ

और डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (च) और 2 (ओं) की सही व्याख्या यह होगी कि शब्द 'जीवित' या 'किसी भी समय जीवित हैं' इसके दायरे में 'जीने का अधिकार' शामिल करें जैसा कि ऊपर व्याख्या की गई है। उक्त निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण देना उपयोगी होगाः

" 20. हमारे जैसे समाज में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें एक महिला तुरंत अपने वैवाहिक घर में प्रवेश नहीं कर सकती है

शादी के बाद। एक जोड़ा जो शादी के तुरंत बाद हनीमून के लिए निकलता है और जिसका रिश्ता हनीमून के दौरान भी तनावपूर्ण हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्नी तुरंत अपने माता-पिता के घर लौट जाती है, हो सकता है कि घरेलू संबंध की परिभाषा की कसौटी पर खरा न उतरे।

अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत संबंध, यदि इसका कड़ाई से अर्थ लगाया गया है। इस तरह के मामले में एक महिला, कानूनी रूप से वैध विवाह के बाद भी उसके समापन के बावजूद, 'साझा घर' में अकेले या पति के साथ किसी भी समय नहीं रह सकती है या नहीं रह सकती है।

हमारे समाज में यह असामान्य नहीं है कि शादीशुदा महिला को शादी की समाप्ति से पहले ही उसके माता-पिता के घर भेजा जाता है, कुछ पारंपरिक मान्यताओं के कारण, उदाहरण के लिए, आदि के महीने का हस्तक्षेप। यदि ऐसी महिला को प्रभा त्यागी बनाम माना जाता है।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

उपचार। इसलिए, मेरे विचार में धारा 2 (च) और 2 (ओं) की एक स्वस्थ और सही व्याख्या यह होगी कि ये शब्द ' 'जीना' या 'किसी भी समय जीना' उनके दायरे में 'जीने का अधिकार' शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, एक महिला के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कार्यवाही की स्थापना के समय या अतीत की बात के रूप में साझा घर में रहने के अपने शारीरिक कार्य को स्थापित करे। यदि कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी कानूनी मंजूरी है, तो उस रिश्ते में एक महिला को साझा रिश्ते में रहने का अधिकार मिलता है।

गृहस्थी। इसलिए, वह अधिनियम की धारा 17 के तहत सुरक्षा की हकदार होगी, भले ही वह कार्यवाही की स्थापना के समय साझा घर में नहीं रहती थी या अतीत में कभी भी साझा घर में नहीं रहती थी। अधिनियम की धारा 17 के तहत संरक्षण का उनका अधिकार, सह-मौजूद है

साझा घर में रहने का उसका अधिकार और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसने साझा घर में अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज की थी या नहीं। एक ऐसा विवाह जो वैध हो और प्रासंगिक तिथि पर रहते हुए, स्वचालित रूप से पत्नी को समान रूप से साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान करता है।

परिवार चलाने के संयुक्त उद्यम में भागीदार। यदि उसे एक वैध और जीवित विवाह के कारण साझा घर में रहने का अधिकार है, तो वह निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर 'घरेलू संबंध' में है और साझा घर से उसकी शारीरिक उपस्थिति या अनुपस्थिति है।

उसके रिश्ते को घरेलू रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। इसलिए, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या इस मामले में आवेदक/वादी कभी उसके घर में रहता था।

7.2.2007 के बाद प्रथम प्रतिवादी/प्रथम प्रतिवादी या नहीं, 7.2.2007 पर प्रथम प्रतिवादी/प्रथम प्रतिवादी के साथ उसकी शादी ने उसे साझा घर में रहने का अधिकार प्रदान किया है।

यह प्रश्न कि क्या आवेदक/वादी 7.2.2007 से 13.6.2007 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय साझा घर में रहता था या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है।

40. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न संख्या। 2 , अर्थात्, 'क्या पीड़ित व्यक्ति के लिए इसके साथ रहना अनिवार्य है

तदनुसार उत्तर दिया। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति के लिए वास्तव में उन व्यक्तियों के साथ रहना या रहना अनिवार्य नहीं है जिनके खिलाफ राहत मांगने के समय आरोप लगाए गए हैं। यदि किसी महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है, तो वह तदनुसार डी. वी. अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत अपने अधिकार को लागू कर सकती है। यदि कोई महिला पीड़ित व्यक्ति या घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती है, तो वह राहत ले सकती है। डी. वी. अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित धारा 17 के तहत साझा घर में रहने या रहने के अधिकार सहित डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत।

41. इसलिए, इसमें अपीलार्थी को एक साझा घर में रहने का अधिकार था, यानी उसका वैवाहिक घर और घरेलू हिंसा का शिकार होना।

हिंसा डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत साझा घर में रहने या रहने के उसके अधिकार को लागू कर सकती है और डी. वी. अधिनियम के तहत प्रदान की गई किसी भी अन्य उचित राहत की मांग कर सकती है। यह इस बात की परवाह किए बिना है कि क्या वह वास्तव में साझा घर में रहती थी।

'संबंध' एक विस्तृत संबंध है और इसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच का संबंध जो किसी भी समय एक साथ रहते हैं या रहे हैं। साझा परिवार जब वे (i) रक्त-संबंध से संबंधित हों; (ii) विवाह;

(iii) विवाह की प्रकृति में एक रिश्ते के माध्यम से; (iv) गोद लेना; (v) एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हैं। अभिव्यक्तियाँ

' सहमति ',' विवाह 'और' गोद लेने 'के लिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सामान्य कानून के साथ-साथ पक्षों पर लागू संबंधित व्यक्तिगत कानून दोनों में अच्छी तरह से समझी गई अवधारणाएं हैं। हालांकि, यह प्रासंगिक है 'विवाह' अभिव्यक्ति में विवाह की प्रकृति में एक संबंध भी शामिल है। दूसरा, 'गोद लेना' शब्द एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को भी ध्यान में रखता है। उपरोक्त पहलुओं के विस्तार की आवश्यकता है।

प्रभा त्यागी बनाम। कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिनके संबंध की प्रकृति को ध्यान में रखा गया है -

डी. वेलु सामी बनाम। डी. पचैयम्मल-[(2010) 10 एस. सी. सी. 469], इस न्यायालय ने डी. वी. अधिनियम के संदर्भ में "विवाह की प्रकृति में संबंध" की अवधारणा पर चर्चा की, और इसे एक सामान्य कानून विवाह के समान माना गया। यह माना गया था कि पार्टियों को एक 'साझा' में एक साथ रहना चाहिए था।

डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ओं) में परिभाषित 'गृहस्थ'। यह राय दी गई थी कि सभी लिव-इन रिलेशनशिप डी. वी. अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह की प्रकृति के संबंध के बराबर नहीं होंगे, बल्कि केवल ऐसे संबंधों के लिए होंगे, जो सामान्य कानून विवाह के रूप में योग्य हैं। एक रिश्ते को एक सामान्य कानून विवाह के रूप में मान्यता देने के लिए कानून के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को निम्नानुसार जोड़ा गया थाः

(i) दंपति को समाज के प्रति खुद को अलग रखना चाहिए।

पति-पत्नी के समान;

((ii) शादी करने के लिए उनकी कानूनी उम्र होनी चाहिए। (iii) उन्हें कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए।

विवाह;

(iv) उन्होंने स्वेच्छा से सहवास किया होगा और दुनिया के सामने खुद को पति-पत्नी के समान होने के रूप में रखा होगा।

एक महत्वपूर्ण अवधि।

इंद्र सरमा बनाम। वी. के. वी. सरमा-[(2013) 15 एस. सी. सी. 755], सवाल यह है कि क्या इस तरह के एक मामले में शामिल एक महिला को बनाए रखने में विफलता से लिव-इन रिलेशनशिप में व्यवधान आता है।

संबंध "घरेलू हिंसा" के बराबर था डी. वी. अधिनियम की धारा 3 के अर्थ पर विचार किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम या पक्षों पर लागू किसी अन्य व्यक्तिगत कानून के तहत विवाह में प्रवेश करना, सार्वजनिक महत्व के संबंध में प्रवेश करना है, क्योंकि विवाह एक सामाजिक संबंध है।

संस्थान से कई अधिकार और देनदारियां निकलती हैं।

संबंध। इस प्रकार, विवाह की अवधारणा नागरिक अधिकारों को जन्म देती है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित दिशानिर्देशों का उल्लेख किया, जो यह निर्धारित करेंगे कि क्या दोनों के बीच कोई संबंध है। लोग विवाह की प्रकृति में थे, अंततः [2022] 5 एस. सी. आर.

कि डी. वी. अधिनियम एक ऐसे जोड़े को शामिल करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिसका विवाह की प्रकृति में संबंध था, ताकि

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल कानून में एक उपाय

संबंध, जो पैराग्राफ 56 के अनुसार विवाह की प्रकृति में हैं, जो निम्नानुसार निकाले गए हैं:

56.1 . संबंध की अवधि। - डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (च) में "किसी भी समय" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है किसी संबंध को बनाए रखने और जारी रखने के लिए एक उचित अवधि जो तथ्य स्थिति के आधार पर मामले-दर-मामले भिन्न हो सकती है। 56.2 . साझा घर। - अभिव्यक्ति को डी. वी. अधिनियम की धारा 2 (ओं) के तहत परिभाषित किया गया है और इसलिए, आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

56.3 . संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं का एकत्रीकरण।

एक-दूसरे का, या उनमें से किसी एक का, आर्थिक रूप से समर्थन करना, बैंक खातों को साझा करना, संयुक्त नामों पर या महिला के नाम पर अचल संपत्ति प्राप्त करना, व्यवसाय में दीर्घकालिक निवेश, अलग-अलग और संयुक्त नामों पर शेयर, ताकि एक दीर्घकालिक संबंध बना रहे, एक मार्गदर्शक कारक हो सकता है।

56.4 . घरेलू व्यवस्थाएँ। - घर चलाने की जिम्मेदारी, विशेष रूप से महिला को सौंपना, घर का काम करता है।

56.6 . बच्चे। - बच्चे होना एक मजबूत संकेत है विवाह की प्रकृति में संबंध। इसलिए, पक्षकारों का इरादा प्रभा त्याग बनाम है।

एक दीर्घकालिक संबंध रखने के लिए। उनके पालन-पोषण और समर्थन के लिए जिम्मेदारी साझा करना भी एक मजबूत संकेत है।

56.7 . सार्वजनिक रूप से समाजीकरण। - जनता को संबोधित करना और

दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ सामाजिककरण, जैसे कि वे पति और पत्नी हैं, रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक मजबूत परिस्थिति है

विवाह की प्रकृति।

56.8 . पक्षों का इरादा और आचरण। - पक्षों का सामान्य इरादा कि उनका संबंध क्या होना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए, और मुख्य रूप से उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में

यह उस रिश्ते की प्रकृति को निर्धारित करता है।

43. इसके अलावा, अभिव्यक्ति 'परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं' केवल रक्त-संबंध के माध्यम से संबंधों से संबंधित नहीं है।

विवाह या गोद लेना। जैसा कि ऊपर देखा गया है, 'संयुक्त परिवार' शब्द का अर्थ संयुक्त परिवार नहीं है जैसा कि हिंदू कानून में समझा गया है। इसका मतलब होगा कि लोग एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। इसमें न केवल परिवार के सदस्य शामिल होंगे जो रक्त-संबंध, विवाह या गोद लेने से संबंधित होने पर एक साथ रहते हैं, बल्कि वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो एक साथ या संयुक्त परिवार के रूप में संयुक्त रूप से रह रहे हैं जैसे कि पालक बच्चे जो अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं जो रक्त-संबंध, विवाह या गोद लेने से संबंधित हैं। इसलिए, जब कोई महिला घरेलू संबंध में होती है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तो उसे घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन किया जाता है और वह एक व्यथित व्यक्ति बन जाती है।

डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार का लाभ उठाने का हकदार है। आगे सवाल यह है कि क्या ऐसा घरेलू संबंध पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के बीच होना चाहिए।

जिसे राहत का दावा करते समय राहत का दावा किया जाता है। इसका उत्तर देने से पहले, डी. वी. अधिनियम में उल्लिखित संबंधों का विश्लेषण करना उपयोगी होगाः

(अ)

संगम द्वारा कोई भी संबंध एक आजीवन संबंध है।

(ख)

विवाह भी एक आजीवन संबंध है जब तक कि अलगाव न हो। तलाक की डिक्री द्वारा एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है

कानून से।

(i) यदि कानून की अदालत द्वारा आदेशित न्यायिक अलगाव है, जो विवाह को समाप्त नहीं करता है और इसलिए पति-पत्नी के बीच घरेलू संबंध जारी रहता है, भले ही वे अलग न हों।

वास्तव में एक साथ रहना।

((ii) तलाक की स्थिति में, विवाह अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, लेकिन यदि किसी महिला (पत्नी) को विवाह के दौरान या तलाक की डिक्री पारित होने के बाद भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, लेकिन घरेलू संबंध की अवधि से संबंधित है, तो इस डी. वी. अधिनियम के प्रावधान इस बात पर आते हैं कि -

ऐसी तलाकशुदा महिला को भी बचाना।

(iii) यही कारण है कि 'घरेलू संबंध' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो एक साझा घर में रहते हैं या किसी भी समय एक साथ रहते हैं, जब वे विवाह द्वारा संबंधित होते हैं। हमने धारा 17 की उप-धारा (1) में रहने के अधिकार के संदर्भ में 'जीवित' या 'जीवित' शब्द की भी व्याख्या की है। साझा घर में रहने का अधिकार, भले ही घरेलू संबंध टूट गए हों, उदाहरण के लिए जब कोई महिला अपने पति की मृत्यु के कारण विधवा हो गई हो, तो उसे डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। ((iv) इसलिए, तब भी जब वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं और पीड़ित महिला के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं रहता है।

और प्रत्यर्थी जिसके खिलाफ राहत का दावा किया जाता है लेकिन घरेलू हिंसा के कार्य घरेलू संबंधों की अवधि से संबंधित हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी, घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली पीड़ित महिला के पास डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार है।

((ग)

यहाँ तक कि विवाह की प्रकृति के संबंध के मामले में भी, किस अवधि में महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा

और इस प्रकार एक व्यथित व्यक्ति संबंध की समाप्ति के बाद उपचार की मांग कर सकता है, केवल पूर्व शर्त यह है कि घरेलू हिंसा का आरोप संबंध के निर्वाह की अवधि से संबंधित होना चाहिए

विवाह की प्रकृति।

((घ)

इसी तरह, जब एक लड़की का पालन-पोषण परिवार द्वारा किया जाता है

एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले सदस्य, जैसा कि ऊपर व्याख्या की गई है और रहते हैं या किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं या एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले सदस्य के रूप में साझा घर में रहने का अधिकार रखते हैं और उन्हें किसी भी तरह से बेदखल कर दिया गया है या घरेलू हिंसा का शिकार हो गए हैं, डी. वी. अधिनियम के तहत उपचार है।

प्रभा त्यागी बनाम। कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

हमारे विचार में, पीड़ित व्यक्ति और जिस व्यक्ति के खिलाफ राहत का दावा किया जाता है, उसके बीच एक स्थायी घरेलू संबंध के बारे में उठाए गए प्रश्न की व्यापक और विस्तृत तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए।

अपने पति के साथ दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने तक और उसके साथ रहने तक इसलिए सड़क दुर्घटना में अपने पति की मृत्यु के बावजूद उसे भी साझा घर में रहने का अधिकार था। पीड़ित व्यक्ति का अपनी शादी के कारण एक निर्वाहित घरेलू संबंध बना रहा और बहू होने के नाते उसे साझा घर में रहने का अधिकार था। 45. यह हमें पहले प्रश्न पर ले जाता है जो हमारे द्वारा उठाया गया है, 'क्या घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार [2022] 5 एस. सी. आर. है।

उक्त डी. वी. अधिनियम की धारा 18 से 20 और 22 के मूल प्रावधानों को लागू करने के लिए डी. वी. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले अनिवार्य? .

46. धारा 2 का खंड (ई) एक घरेलू घटना रिपोर्ट को शिकायत की प्राप्ति पर निर्धारित प्रपत्र में बनाया गया एक पोर्ट के रूप में परिभाषित करता है

पीड़ित व्यक्ति से घरेलू हिंसा। जैसा कि धारा 12 में उल्लेख किया गया है, एक व्यथित व्यक्ति या एक सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता सहित व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, डी. वी. अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के माध्यम से, डी. वी. अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रोविसो धारा 12 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले

ऐसा आवेदन, मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा। धारा 2 के खंड (एन) में परिभाषित संरक्षण अधिकारी का अर्थ है धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी। धारा 8 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि सुरक्षा अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिलाएँ होंगी और उनके पास अधिकार होंगे।

ऐसी योग्यताएँ और अनुभव जो विहित किए जाएँ। 47. उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि एक व्यथित व्यक्ति अपने दम पर या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से

पीड़ित व्यक्ति डी. वी. अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन परंतुक में कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई घरेलू घटना मजिस्ट्रेट से प्राप्त होती है।

ऐसे मामले में सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए, जब कोई पीड़ित व्यक्ति फाइल करता है

स्वयं या किसी अधिवक्ता की सहायता से एक आवेदन और सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता की सहायता से नहीं, ऐसे मामले में, सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता की भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है। जाहिर है, मजिस्ट्रेट को सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से कोई घरेलू घटना रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी। क्या यह कहा जा सकता है कि घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में, मजिस्ट्रेट डी. वी. अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है, विशेष रूप से जब पीड़ित व्यक्ति स्वयं या कानूनी वकील के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करता है? हमारे विचार में, यह परंतुक का इरादा नहीं है। हालांकि, परंतुक में 'होगा' शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन यह केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां एक सुरक्षा अधिकारी किसी भी मामले को दायर करता है।

घरेलू घटना रिपोर्ट या, जैसा भी मामला हो, सेवा प्रदाता ऐसी रिपोर्ट दाखिल करता है। जब एक घरेलू घटना रिपोर्ट एक प्रभा त्यागी बनाम द्वारा दायर की जाती है।

सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता, ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा प्राप्त उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखना होता है। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति की ओर से ऐसी रिपोर्ट दायर नहीं की गई है तो वह ऐसी किसी भी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए, 'होगा' अभिव्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त घरेलू घटना रिपोर्ट के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जिस मामले में मजिस्ट्रेट के लिए रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य है। लेकिन, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट को स्वाभाविक रूप से आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले ऐसी किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यह एक ऐसे मामले में हो सकता है जहां एक पीड़ित व्यक्ति स्वयं मजिस्ट्रेट से संपर्क करता है या एक अधिवक्ता की सेवाओं को एक या अधिक राहत की मांग करने वाले आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए लगाया जाता है। डी. वी. अधिनियम या एक वैध स्वीकार्य कारण/कारण के लिए एक घरेलू घटना रिपोर्ट एक सुरक्षा अधिकारी या एक सेवा प्रदाता द्वारा दायर नहीं की गई है, जैसा भी मामला हो।

48. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय नहीं था

यह अभिनिर्धारित करने का अधिकार कि यहाँ अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन घरेलू घटना रिपोर्ट के साथ नहीं था और इसलिए इसके तहत

डी. वी. अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास अपीलार्थी के पक्ष में आदेश और निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।

निम्नलिखित निर्णय हैं जहाँ उच्च न्यायालयों ने

((i)

अभिनिर्धारित किया कि घरेलू घटना रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है अनुभाग के तहत आवेदन का मनोरंजन करने या निर्णय लेने के लिए नहीं

12 विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा डी. वी. अधिनियम।

क) नयनकुमार बनाम कर्नाटक राज्य में-[आई. एल. आर.]

2009 कर्नाटक उच्च न्यायालय (कालबुर्गी पीठ) ने डी. वी. अधिनियम की धारा 12 पर विचार करते हुए कहा कि यदि मजिस्ट्रेट को सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से घरेलू घटना की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो मजिस्ट्रेट की ओर से पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर आदेश पारित करने से पहले उक्त घरेलू घटना की रिपोर्ट पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। यह आगे स्पष्ट किया गया कि की योजना
डी. वी. अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि सेवा प्रदाता [2022] 5 एस. सी. आर. के समक्ष जाना पीड़ित व्यक्ति की पसंद पर छोड़ दिया गया है।

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट से संपर्क करना डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत।

अभिराम गोगोई बनाम रश्मि रेखा गोगोई

-

[(2011) 4 गुवाहाटी विधि रिपोर्ट 276], गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डी. वी. अधिनियम की धारा 9 (1) (बी) यह स्पष्ट करती है कि यह संरक्षण का कर्तव्य है।

अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को घरेलू घटना की रिपोर्ट करेगा और उसकी प्रतियां उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में घरेलू हिंसा की गई है और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को भेजेगा।

मामले में मो. बासित बनाम। असम राज्य और अन्य-[(2012) 1 गुवाहाटी विधि रिपोर्ट 747], गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश और झारखंड उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमति जताई और कहा कि धारा 12 केवल इस बात पर विचार करती है कि डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है, किस राहत के लिए माँगा जा सकता है, इसकी सामग्री क्या है।

शिकायत होनी चाहिए और शिकायत की जांच कैसे की जानी चाहिए। कि यदि शिकायत उक्त पूर्व शर्तों के अनुरूप है, तो उसका संज्ञान लिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि डी. वी. अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आवेदन या तो किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या किसी संरक्षण अधिकारी द्वारा दायर किया जा सकता है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस प्रावधान के तहत मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से घरेलू घटना की रिपोर्ट मांगने की आवश्यकता नहीं है। कि इस तरह की रिपोर्ट पर विचार करना केवल तभी अनिवार्य होगा जब इसे संरक्षण अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया हो। गुवाहाटी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश और झारखंड उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से इस हद तक भिन्न था कि बाद के न्यायालयों ने कहा कि मजिस्ट्रेट घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, भले ही वह संरक्षण द्वारा दायर की गई हो।

अधिकारी।

आर. ए. बी. टी. ए. जी. वी. कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इसी मुद्दे पर विचार करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहुल सूरमा बनाम हिमाचल राज्य मामले में

प्रदेश-[(2012) एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 2574] ने अभिनिर्धारित किया कि डी. वी. अधिनियम का उद्देश्य तत्काल राहत देना है।

पीड़ित व्यक्ति को; इसलिए, यह कहना गलत था कि मजिस्ट्रेट के पास संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा घरेलू घटना की रिपोर्ट प्राप्त करने से पहले डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा, ए. विद्या सागर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय-[2014 एससीसी]

ऑनलाइन हाईड 715] ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया जा सकता है और केवल घरेलू घटना रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया जा सकता है और अन्यथा नहीं।

शंभू प्रसाद सिंह बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ। मंजरी-[190 (2012) डी. एल. टी. 647] ने रवींद्र भट, जे. के माध्यम से बोलते हुए इस सवाल पर दो एकल न्यायाधीशों के परस्पर विरोधी विचारों पर चर्चा की कि क्या एक मजिस्ट्रेट डी. वी. अधिनियम के तहत एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर सीधे कार्रवाई कर सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि डी. वी. अधिनियम की धारा 12 (1) यह अनिवार्य नहीं करती है कि उक्त डी. वी. अधिनियम के तहत राहत की मांग करने वाले आवेदन के साथ होना चाहिए। घरेलू घटना की रिपोर्ट के साथ या यह भी कि इसे एक सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किया जाना चाहिए। तो भी, नियम 6 जो [2022] 5 एस. सी. आर.

ई. एम. ई. न्यायालय की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के प्रपत्र और तरीके के लिए यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू धारा 12 के तहत राहत के लिए आवेदन के साथ घटना की रिपोर्ट होनी चाहिए।

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि प्रस्तुत करने का दायित्व

एक घरेलू घटना रिपोर्ट केवल डी. वी. अधिनियम की धारा 9 के तहत सुरक्षा अधिकारियों और डी. वी. अधिनियम की धारा 10 के तहत सेवा प्रदाताओं पर लगाई जाती है और विद्वान मजिस्ट्रेट घरेलू घटना रिपोर्ट को ध्यान में रखेंगे यदि यह दायर की गई है और अन्यथा नहीं।

राकेश चौधरी बनाम वंदना चौधरी

—

[2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन जे. एंड के. 512], जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट एक याचिका में प्रक्रिया जारी करने के लिए अनिवार्य है। डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डी. वी. अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधान में केवल यह निर्धारित किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दायर घरेलू घटना रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा।

सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता, लेकिन यह निर्धारित नहीं करता है कि कोई राहत देने से पहले एक रिपोर्ट 'माँगी जाएगी'। इसके अलावा, औरंगाबाद पीठ में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विजय मारुति गायकवाड़ बनाम सविता विजय गायकवाड़-[2018 (1) एचएलआर 295] के मामले में एक आपराधिक रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि यदि मामला अदालत के समक्ष है और पत्नी ने संरक्षण अधिकारी से संपर्क नहीं करना पसंद किया है, तो अदालत संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट बुलाने के लिए बाध्य नहीं है।

अंत में, सूरज शर्मा बनाम के मामले में। भारती शर्मा-[2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन छ. 1825], छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने डी. वी. अधिनियम की धारा 12 पर अपना विचार व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि घरेलू घटना रिपोर्ट कोई भी आदेश देने के लिए निर्णायक सामग्री नहीं होगी।

49. इसके विपरीत, उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित निर्णयों में कहा गया है कि धारा 12 का प्रावधान अनिवार्य है और एक आदेश पारित किया गया है

डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा, संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के बिना रद्द किया जा सकता है।

रामा सिंह बनाम माया सिंह-[(2012) 4 एम. पी. एल. जे. 612] 1 में,

अ)

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें आक्षेपित आदेश को विचार में लिए बिना पारित किया गया था, संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान की अनदेखी की गई थी। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परंतुक आम तौर पर मुख्य प्रावधान में अधिनियमित सामान्य नियम से एक अपवाद बनाता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि परंतुक में 'कोई भी' शब्द का अर्थ कई में से एक या अधिक होगा और इसमें सभी शामिल होंगे। इसलिए, नोटिस जारी करने का निर्देश देने वाले एक अंतर्वर्ती आदेश को भी बाहर नहीं रखा जाएगा

परंतुक की कठोरता से।

ख)

रवि दत्ता बनाम किरण दत्ता और एक अन्य के मामले में -

[208 (2014) डी. एल. टी. 617 2, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोहराया कि डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय निचली अदालत द्वारा घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार न करना उक्त प्रावधान के अधिदेश का उल्लंघन करता है और इसलिए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को माना गया था

अस्थिर होना।

विभिन्न उच्च न्यायालयों से उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण पर

अदालतों, हम पाते हैं कि आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों का यह अभिनिर्णय सही है कि यदि मजिस्ट्रेट को घरेलू घटना की रिपोर्ट या तो सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से प्राप्त हुई है, तो मजिस्ट्रेट की ओर से पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर आदेश पारित करने से पहले उक्त रिपोर्ट पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को सुरक्षा अधिकारी से घरेलू हिंसा की कोई शिकायत या आवेदन प्राप्त नहीं होता है या 1 रवि कुमार बाजपेयी (ऊपर) के बाद के निर्णय में इस निर्णय की व्याख्या की गई थी। 2 इस फैसले में शंभू प्रसाद सिंह (उपरोक्त) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के फैसले पर विचार नहीं किया गया था।

सेवा प्रदाता, इस तरह की रिपोर्ट पर विचार करने का सवाल नहीं है बिलकुल उठें। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, डी. वी. अधिनियम किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए केवल सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना अनिवार्य नहीं बनाता है। एक दुखी व्यक्ति

स्वयं या किसी अधिवक्ता की सेवाओं को नियुक्त करके सीधे क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामले में, सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा घरेलू घटना रिपोर्ट दाखिल करना।

उठती नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने वाले डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अंतरिम या अंतिम आदेश देने का अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत या आवेदन का संज्ञान ले सकता है और डी. वी. की धारा 12 के तहत प्रतिवादी को नोटिस जारी कर सकता है।

नियम 5 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में भी कार्य करें।

इस प्रकार, मजिस्ट्रेट के पास नियम 5 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है, जब पीड़ित व्यक्ति की ओर से सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। इस तरह की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत देनी होगी और

इसलिए परंतुक की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो डी. वी. अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत हो जो धारा 12 को निष्प्रभावी बनाता है। अपने उद्देश्य और उद्देश्य के लिए।

50. इस संदर्भ में, सिद्धांतों पर जोड़-तोड़ करना उपयोगी होगा

जो मुख्य प्रावधान के संदर्भ में परंतुक को दी जाने वाली व्याख्या को नियंत्रित करता है।

एक परंतुक का सामान्य कार्य कुछ अलग करना है।

(अ)

उस उपबंध का या उसमें अधिनियमित किसी ऐसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करने के लिए जो, परंतुक के लिए, उपबंध के दायरे में होगी। एक सामान्य नियम के रूप में, एक परंतुक को एक अधिनियम में जोड़ा जाता है ताकि अधिनियम में जो है उसे अर्हता प्राप्त की जा सके या अपवाद बनाया जा सके और आम तौर पर, एक परंतुक की व्याख्या एक सामान्य नियम के रूप में नहीं की जाती है। दूसरे शब्दों में, एक परंतुक मुख्य अधिनियम की व्यापकता को एक अपवाद प्रदान करके और मुख्य अधिनियम से एक भाग को निकालकर योग्य बनाता है, जो परंतुक के लिए मुख्य प्रावधान के भीतर आता है। इसके अलावा, एक परंतुक को प्रावधान को रद्द करने या अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

प्रभा त्यागी बनाम। कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

" सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत ", 15 वें संस्करण में न्यायिक पूर्ववर्तियों से संकलित कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया है। सबसे पहले, एक परंतुक को निहितार्थ द्वारा कुछ बाहर करने या जोड़ने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, यानी जब एक निष्पक्ष निर्माण पर, मुख्य प्रावधान स्पष्ट है, तो एक परंतुक इसे विस्तारित या सीमित नहीं कर सकता है। दूसरा, एक परंतुक का अर्थ उस संबंध में लगाया जाना चाहिए जिसके संबंध में इसे जोड़ा जाता है अर्थात, सामान्य रूप से, एक परंतुक

विद्वान लेखक न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के अनुसार, परंतुक का इतना अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह अनावश्यक हो जाए। कुछ मामलों में, "बहिष्करण के विधायी उपकरण को केवल संपूर्ण से एक हिस्से को बाहर करने के लिए अपनाया जाता है, जो, लेकिन बहिष्करण के लिए, इसका एक हिस्सा बना हुआ है", और बहिष्करण के शब्दों का कुछ अर्थ माना जाता है और इन्हें आसानी से केवल अधिशेष के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। एक परिणाम के रूप में, यह कहा गया है कि एक परंतुक का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि मुख्य अधिनियम और परंतुक अनावश्यक या अनावश्यक न हो जाए। यह विशेष रूप से ऐसा है, जहां एक परंतुक का उद्देश्य कभी-कभी केवल प्रचुर सावधानी के माध्यम से होता है, विशेष रूप से जब अधिनियम के कार्यकारी शब्द प्रचुर मात्रा में होते हैं। साफ है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में परंतुक का उद्देश्य किसी भी संदेह को दूर करना है। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां एक परंतुक एक स्वतंत्र अधिनियम की प्रकृति में है और न कि केवल एक अपवाद या योग्यता जो कहा गया है [2022] 5 एस. सी. आर.

इससे पहले। दूसरे शब्दों में, यदि मूल अधिनियम को परंतुक के रूप में लिखा जाता है, तो यह विभिन्न प्रावधानों से संबंधित एक स्वतंत्र विधायी प्रावधान होगा।

इस स्तर पर, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से एकत्र किए गए प्रावधान के निर्माण या व्याख्या पर चर्चा की जा सकती है। ((i)

ईश्वरलाल ठाकुरलाल अल्मौला बनाम मोतीभाई नागजिभाई-[ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 459], बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948 पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परंतुक का एक उचित कार्य मूल खंड में अधिनियमित किसी चीज़ को छोड़ना या अर्हता प्राप्त करना है, जो परंतुक के लिए है,

यह उस खंड के भीतर होगा।

((ख)

कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम। नवरत्न फार्मास्युटिकल लैबोरेटरीज-[आकाशवाणी]

1965 एस. सी. 980], परंतुक पर विचार करते हुए

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1940 की धारा 6 में यह कहा गया था कि यह किसी भी कानून के लिए एक उचित निर्माण नहीं होगा, यदि एक परंतुक जो संदर्भ में एक अपवाद बनाने का तात्पर्य रखता है और किसी विशेष वर्ग के मामलों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करना चाहता है।

इसमें यह माना जाना चाहिए कि यह अनुचित है और इसे हासिल किया गया है

कुछ भी नहीं।

केदारनाथ जूट विनिर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम. वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य, [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 12], यह देखा गया कि "निर्माण के सामान्य नियमों के अनुसार, एक अपवाद या योग्यता परंतुक का प्रभाव, अधिनियम के पूर्ववर्ती भाग को छोड़कर या अर्हता प्राप्त करने के लिए है। उसमें कुछ अधिनियमित किया गया है, जो परंतुक के लिए इसके भीतर होगा। [क़ानून पर "क्रेज़" देखें-छठा संस्करण-पी. 217]। इस मामले में, न्यायालय बंगाल वित्त प्रभा त्यागी बनाम की धारा 5 (2) (ए) (ii) पर विचार कर रहा था।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

बिक्री कर अधिनियम, 1941 और बंगाल बिक्री का नियम 27-ए

कर नियम।

((iv) दत्तात्रेय गोविंद महाजन और अन्य बनाम।

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य-[आकाशवाणी]

1977 एस. सी. 915], सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ, महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत पर अधिकतम सीमा) में किए गए संशोधन पर विचार करते हुए अधिनियम, 1961, संविधान के अनुच्छेद 31 बी और उसके दूसरे परंतुक के संदर्भ में, ईश्वरलाल के मामले में जो कहा गया था, उसे दोहराता है।

(v)

एस. सुंदरम पिल्लई आदि में, बनाम। वी. आर. पट्टाबिरमन

- [ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 582], तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उप-धारा (2) के लिए एक परंतुक के दायरे और स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक परंतुक के तीन अलग-अलग कार्य हो सकते हैं। आम तौर पर, एक परंतुक मुख्य अधिनियम के भीतर किसी चीज़ के लिए एक अपवाद या उसमें अधिनियमित किसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करने के लिए होता है, जो परंतुक के लिए, अधिनियम के दायरे में होगा। दूसरे शब्दों में, ए

प्रावधान को मुख्य से अलग नहीं किया जा सकता है अधिनियमन, और न ही इसका उपयोग मुख्य अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को रद्द करने या शून्य करने के लिए किया जा सकता है। कभी-कभी ए.

परंतुक का असाधारण रूप से प्रभाव हो सकता है

मूल अधिनियमन।

कई कानूनी ग्रंथों और निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 43. हमें अधिकारियों के बाद अधिकारियों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है

यह बात इसलिए है क्योंकि कानूनी स्थिति स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होती है। संक्षेप में, एक परंतुक चार अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा कर सकता है:

(1) मुख्य से कुछ प्रावधानों को अर्हता प्राप्त करना या छोड़ना

अधिनियमन;

पूरा करने के लिए अनिवार्य शर्तें अधिनियम व्यवहार्य; [2022] 5 एस. सी. आर.

(3) यह अधिनियम में ही इस तरह से अंतर्निहित हो सकता है कि अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन जाए और इस प्रकार अवधि प्राप्त हो जाए। और मूल अधिनियम का ही रंग; और

(4) इसका उपयोग केवल वास्तविक को समझाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियम में एक वैकल्पिक परिशिष्ट के रूप में कार्य करने के लिए किया जा सकता है।

वैधानिक प्रावधान का आशय "।

एक के निर्माण और व्याख्या के लिए दृष्टिकोण

(च)

निम्नलिखित मामलों में परंतुक का उल्लेख किया गया है।

(1) एम. पेंटिया बनाम मुद्दला वीरमल्लप्पा में-[आकाशवाणी]

1961 एस. सी. 1107], यह देखा गया कि किसी धारा या परंतुक की व्याख्या करते समय, यदि विकल्प दो व्याख्याओं के बीच है, जिसमें से संकीर्णता कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगी, तो एक

एक ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को निरर्थकता में कम कर देगा और इसके बजाय इस विचार के आधार पर साहसिक निर्माण को स्वीकार करना चाहिए कि संसद केवल कानून बनाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी।

प्रभावी परिणाम।

((ii) न्यायिक अधीक्षक और अनुस्मारक

सरकार के मामले। पश्चिम बंगाल बनाम अबनी मैती-[ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1029] के इस न्यायालय ने कहा कि क़ानून की व्याख्या केवल शब्दकोशकार के दृष्टिकोण से नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय को विधानमंडल की वसीयत और अंतर्निहित नीति को प्रभावी बनाना चाहिए

अधिनियम के उद्देश्य और योजना और उसमें प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट है। एक क़ानून में शब्द अक्सर एक क़ानून के संदर्भ में अपना अर्थ लेते हैं। इसलिए, उन्हें अलग-थलग नहीं माना जाना चाहिए।

51. तत्काल मामले में, जब परंतुक को मुख्य प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाता है जो 'एक पीड़ित व्यक्ति या' शब्दों से शुरू होता है।

पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति 'डी. वी. अधिनियम' के तहत एक या अधिक राहत की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से डी. वी. अधिनियम के तहत किसी भी राहत

की मांग के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। ऐसी स्थिति में, घरेलू घटना रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है।

परंतुक में 'होगा' अभिव्यक्ति को प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए अर्थात मजिस्ट्रेट किसी भी घरेलू घटना को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है।

उसके द्वारा प्राप्त रिपोर्ट जब वह सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से एक ऐसे मामले में दायर की गई है जहां पीड़ित व्यक्ति की ओर से एक सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता के माध्यम से मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है। यदि संसद का इरादा यह था कि संरक्षण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दाखिल करना मजिस्ट्रेट के लिए एक पूर्व शर्त है कि वह किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर कार्रवाई करे

यहां तक कि जब वह इसे स्वयं या अपने वकील के माध्यम से दाखिल करती है तो यह इस तरह से व्यक्त किया जाता है। लेकिन परंतुक के साथ धारा 12 की उप-धारा (1) का संयुक्त पठन इस तरह के इरादे का संकेत नहीं देता है। इस प्रकार, डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्ति की प्रचुरता तदनुसार है

एक सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता की सहायता के बिना पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन पर प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के लिए व्याख्या और पूर्व-आवश्यक और इस प्रकार घरेलू घटना रिपोर्ट की अनुपस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यदि एक विपरीत व्याख्या दी जानी है तो धारा 12 की उप-धारा (1) के शुरुआती शब्दों को अनुचित माना जाएगा और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पहले किसी सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क करे, जैसा भी मामला हो, और एक घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करे और उसके बाद डी. वी. अधिनियम के तहत राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करे, जो संसद का इरादा नहीं है। इसलिए, हमारे विचार में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के राम सिंह बनाम माया सिंह-[(2012) 4 एम. पी. एल. जे. 612] और दिल्ली उच्च न्यायालय के रवि दत्ता बनाम किरण दत्ता और एक अन्य-[2018 (2014) डी. एल. टी. 61] के निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं और इसके द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, जबकि हम उपरोक्त उल्लिखित अन्य सभी निर्णयों की पुष्टि करते हैं जो ऊपर की गई व्याख्या के अनुरूप हैं।

52. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में उठाए गए तीन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया गया है:

" (i) क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य है ताकि इसके ठोस प्रावधानों को लागू किया जा सके।

उक्त अधिनियम की धारा 18 से 20 और 22? ”

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 12 इसे अनिवार्य नहीं बनाती है

मजिस्ट्रेट डी. वी. के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा दायर घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करेगा। एक्ट करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू घटना रिपोर्ट के अभाव में भी, [2022] 5 एस. सी. आर.

मजिस्ट्रेट को डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एकतरफा या अंतरिम के साथ-साथ अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार है।

" ((ii) क्या पीड़ित व्यक्ति के लिए उन व्यक्तियों के साथ रहना अनिवार्य है जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

हिंसा करने के बिंदु पर? "

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह पीड़ित व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है, जब

वह रक्त संबंध, विवाह या विवाह, गोद लेने की प्रकृति के संबंध के माध्यम से संबंधित है या परिवार के सदस्य एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं, वास्तव में उन व्यक्तियों के साथ रहने के लिए जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

हिंसा। यदि किसी महिला को डी. वी. अधिनियम की धारा 17 के तहत साझा घर में रहने का अधिकार है और ऐसी महिला पीड़ित व्यक्ति या घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती है, तो वह राहत की गुहार लगा सकती है।

डी. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक साझा घर में रहने के उसके अधिकार को लागू करना शामिल है।

" ((ग) क्या पीड़ित व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच एक स्थायी घरेलू संबंध होना चाहिए जिसके खिलाफ राहत का दावा किया जाता है?

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच एक स्थायी घरेलू संबंध होना चाहिए जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में राहत का दावा किया जाता है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन दायर करने के समय, घरेलू संबंध बने रहें। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई पीड़ित व्यक्ति डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने के समय एक साझा घर में प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में न हो, लेकिन किसी भी समय ऐसा रहा हो या उसे जीने का अधिकार था और घरेलू हिंसा का शिकार हुआ हो या बाद में घरेलू हिंसा का शिकार हुआ हो।

संबंध, डी. वी. अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार है।

53. नतीजतन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2014 के आपराधिक संशोधन संख्या 186 में 23 जुलाई, 2019 का निर्णय पारित किया गया। साथ ही 2011 की आपराधिक अपील संख्या 53 में पांचवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून द्वारा पारित 11 जुलाई, 2014 के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और 2007 के विविध मामले संख्या 78, देहरादून में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-I द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है।

प्रभा त्यागी बनाम।

कमलेश देवी [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

54. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

55. दल अपन-अपन लागत वहन करत।

56. इस मामले से अलग होने से पहले, हम अपनी सराहना व्यक्त करते हैं

न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल, जिन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों से उत्पन्न होने वाले इस मामले में उठाए गए प्रश्नों पर सभी प्रासंगिक निर्णयों पर कड़ी मेहनत से शोध किया है और मामले के तथ्यों और डी. वी. अधिनियम के सभी प्रासंगिक प्रावधानों के विशेष संदर्भ के साथ योजनाबद्ध रूप से अपनी प्रस्तुति दी है, द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए धन्यवाद। निधि जैन (तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)